कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022 / 738 दिनांकः–23/1/2023

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली

विषयः–माननीय एन0जी0टी0 प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली में दर्ज प्रकरण संख्या ओ.ए. 248/2022 में दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो/अभिशंषाओं की कियान्विति/प्रगति रिपोर्ट भिजवाने के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हिन्दु समाचार पत्र दिनांक 27.3.2022 में प्रकाशित शीर्षक **"Digging up the Chambal"** के आधार पर माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली में दर्ज प्रकरण कमांकःओ.ए. 248/2022 में दिनांक 21.9.2022 को सुनवाई के दौरान एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने हेतु जारी आदेश दिनांक 21.9.2022 की कियान्वित हेतु आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण, की गई कार्यवाही का विस्तृत नोट, सम्बन्धित विभागों के लिखे गये पत्रों, मौका रिपोर्ट आदि पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

1. उक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही का नोट
2. माननीय एन0जी0टी0 प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 5.4.2022 को जारी आदेश (प्रदर्श–1)
3. माननीय एन0जी0टी0 प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 21.9.2022 को जारी आदेश (प्रदर्श–2)
4. मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 10.5.2018 की प्रति (प्रदर्श–3)
5. मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 9.2.2012 व 5.7.2021 की प्रति (प्रदर्श–4)
6. अति. मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा दिनांक 13.1.2023 को चम्बल नदी के मौका रिपोर्ट की प्रति। (प्रदर्श–5)
7. दिनांक 16.1.2023 से 23.1.2023 तक सम्बन्धित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से चलाये जाने हेतु जारी आदेश दिनांक 14.1.2023 की प्रति (प्रदर्श–6)
8. दिनांक 13.1.2023 को आयोजित समीक्षा बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति (प्रदर्श–7)।
9. सम्बन्धित विभागों को लिखे गये पत्रों की प्रति (प्रदर्श–8)।
10. खान विभाग जयपुर द्वारा विभिन्न विभागों को लिखे पत्रों की प्रति।
11. अखवार की कटिंग

जिला कलक्टर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भ–ूविज्ञान विभाग धौलपुर (राज.)

क्रमांक :– खअ/धौल/माचि/बजरी/2022/135 दिनांक : 23/01/23

प्रेषित :–

श्री आर.आर. सिंह सैंगर
अधिशाषी अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, दीन दयाल नगर, ग्वालियर–474020
मध्य प्रदेश

विषय :– माननीय न्यायालय एन.जी.टी. नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक ओ0ए0 248/2022 (हिन्दू समाचार पत्र दिनांक 27.03.2022 में प्रकाशित शीर्षक **"Digging up the Chambal"** के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हिन्दू समाचार पत्र दिनांक 27.03.2022 में प्रकाशित शीर्षक "Digging up the Chambal" के आधार पर माननीय न्यायालय एन.जी.टी. नई दिल्ली में प्रकरण क्रमांक ओ0ए0 248/2022 दर्ज हुआ है।

माननीय न्यायालय एन.जी.टी. नई दिल्ली ने उक्त प्रकरण में दिनांक 21.09.2022 को आदेश जारी कर संयुक्त गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 17.05.2022 में वर्णित सिफारिसों के अनुरूप कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में अब तक की गई कार्यवाही का एक नोट तैयार किया गया है। नोट एवं उसके साथ संलग्नक इस पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकों भिजवाये जा रहे है।

संलग्नक :– उक्तानुसार

भवदीय

(मुकेश चन्द्र मंगल)
खनि अभियन्ता, धौलपुर

Note

द हिन्दु दिनांक 27.03.2022 में प्रकाशित शीर्षक 'Digging up the chambal'

1. माननीय एन.जी.टी. नई दिल्ली द्वारा विषयांकित समाचार के आधार पर प्रकरण संख्या ओ0ए0 248/2022 सुओ मोटो प्रकरण दर्ज किया गया।

2. माननीय एन.जी.टी. द्वारा आदेश दिनांक 05.04.2022 (प्रदर्श–1) DGF&SS, Wildlife, MOEF & CC, निदेशक राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य, सचिव खान, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आठ सदस्यीय समिति का गठन किया गया। जिसमें मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समन्वय और अनुपालन के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया। समिति को बैठक कर, साइट का दौरा कर जलचर प्राणियों के पारिस्थितिक आवास क्षेत्रों (अधिसूचित अथवा बिना अधिसूचित) को बिना नुकसान के पुनर्भरण की संभावनाओं के संबंध में उपचारात्मक कार्य योजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. खान विभाग राजस्थान की ओर से अतिरिक्त निदेशक, खान कोटा–जोन, कोटा एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर–वृत, भरतपुर द्वारा बैठक दिनांक 17.05.2022 में अपनी उपस्थिति दी गई तथा राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में तहसील और जिला मुरैना के गाँव भानपुर में स्थित राजघाट नामक जगह पर चम्बल नदी के दाहिने किनारे पर जे.सी.बी. और लोडर का उपयोग करके लगातार अवैध रेत खनन किया जाना पाया गया।

4. उक्त कमेटी द्वारा उक्त निरीक्षण उपरान्त रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 14.07.2022 को माननीय एन.जी.टी. में प्रस्तुत की गई।

5. माननीय एन.जी.टी. द्वारा आदेश दिनांक 21.09.2022 (प्रदर्श–2) से कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रस्तुत टिप्पणियों, वास्तविक स्थिति, एवं उनके द्वारा की गई अनुशंषा एवं कार्यवाही रिपोर्ट पर विचार कर रिपोर्ट से सहमत होकर कमेटी की अनुशंषाओं के अनुसार आगामी कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

6. माननीय एन.जी.टी. द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान तथा पर्यावरण विभाग, उत्तरप्रदेश राजस्थान और मध्यप्रदेश द्वारा उनकी अधिकारिता क्षेत्रों में उनकी देखरेख में अनुशंषाओं के अनुसार आगामी कार्यवाही किये जाने तथा उक्त अधिकारिगण आगामी सुनवाई तिथि दिनांक 24.01.2023 को वी.सी. के माध्यम से समस्या के निदान हेतु अधिकरण के सहयोग हेतु उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये।

7. राजस्थान राज्य में खनिज बजरी के अवैध खनन/अवैध निर्गमन को रोकने के लिये श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान के पत्र दिनांक 10.05.2018 (प्रदर्श–3) से जिला कलक्टर धौलपुर की अध्यक्षता में एस.आई.टी. का गठन किया हुआ है। साथ ही राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 09.02.2012 एवं 05.07.2021 (प्रदर्श–4) के द्वारा वन/अभ्यारण्य क्षेत्रों में संबंधित वन विभाग द्वारा रोकथाम की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया हुआ है।

8. माननीय एन.जी.टी. नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.09.2022 को दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 11.10.2022 को जिला कलक्टर, धौलपुर की अध्यक्षता में लिये गये निर्णय की क्रियान्विति की समीक्षा हेतु दिनांक 13.01.2023 को जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर में बैठक आयोजित की गई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (खान) विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित रहें। बैठक में जिला कलेक्टर स्तर से गृह विभाग, वन विभाग, सूचना तकनिकी एवं संचार विभाग को एन. जी.टी. के आदेश दिनांक 21.09.2022 के क्रम में एवं विभिन्न ऑयल कम्पनिया/पेट्रोल पम्प संचालकों को बिना नम्बर प्लेट वाहनों का डीजल–पेट्रोल ना देने एवं पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा रजिस्टर संधारित करने बाबत् पत्र लिखा जाने हेतु निर्णय लिया गया। अवैध खनन कार्य में लिप्त लोगों की सम्पत्ति जब्त करने के निर्देश दिए। वन विभाग के अधिकारियों को सीसीटीवी कैमरे लगाकर अवैध खनन के संबंध में निगरानी करने एवं ड्रोन से सर्वे कर क्षैत्र में लगातार पेट्रोलिंग करने हेतु निर्देशित किया गया।

9. बैठक के पश्चात दिनांक 13.01.2023 (प्रदर्श–5) को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा विभाग के अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों के साथ चम्बल नदी क्षैत्र का मौका निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण राजस्थान सीमा की तरफ चम्बल नदी में किसी प्रकार का कोई बजरी खनन नहीं पाया गया।

मौके पर मध्यप्रदेश राज्य के जिला मुरैना की तरफ चम्बल नदी के तट पर जे. सी.बी. मशीनों की मदद से 40–50 ट्रैक्टरों द्वारा लाइन लगाकर बजरी को भरा जाना पाया गया पुलिस एवं खान विभाग की टीम को देखकर अवैधखननकर्ता द्वारा बैखोफ मुरैना–धौलपुर हाईवे पर बजरी खाली कर हाईवे को जाम करने का प्रयास किया तथा एक खाली ट्रैक्टर–ट्रोली चालक द्वारा राजकीय वाहनों को टक्कर मारने की हिम्मत भी की गई। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिती खराब होने पर टीम राजस्थान सीमा की तरफ लौट आई।

10. उक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु दिनांक 16 से 23 जनबरी 2023 तक संबंधित विभाग के अधिकारी/कार्मिक संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाये जावें। इस संबंध में जिला कलेक्टर धौलपुर द्वारा भी आदेश दिनांक 14.01.2023 (प्रदर्श–6) जारी कर दिया गया है। विभाग की तरफ से भी आवश्यक कार्मिकों की नियुक्ति कर दी गई है।

11. जिला कलक्टर, धौलपुर की अध्यक्षता में बैठक कार्यवाही दिनांक 13.01.2023 (प्रदर्श–7) में एन.जी.टी. आदेश दिनांक 21.09.2022 में दिये गये निर्देशों की क्रियान्विति के क्रम में बिन्दुवार निर्णय लिये गये।

12. बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना में बिन्दु संख्या 1, 2, 3, 5, 8, 9 एवं 11 के संबंध में जिला कलक्टर द्वारा पत्र दिनांक 13.01.2023, 14.01.2023 एवं 15.01.2023 (प्रदर्श–8) के द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु गृह विभाग, वन विभाग एवं विक्रय अधिकारीगण आई.ओ.सी. एल./एच.पी.सी.एल./रिलांयस/बी.पी.सी.एल. को लिखा गया है।

13. जिला कलक्टर द्वारा वन विभाग एवं गृह विभाग को लिखे गये पत्रों के संबंध में शासन द्वारा दिनांक 17.01.2023 से भी संबंधित विभाग को लिखा गया तथा श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से भी दिनांक 20.01.2023 को वन विभाग एवं गृह विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है।

14. पुलिस एवं वन विभाग धौलपुर द्वारा अवैध चम्बल रेता खनन/परिवहन/भण्डारण के विरूद्ध धारा 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 व 379 ता0हि0 के तहत संयुक्त दल द्वारा की गई कार्यवाही विवरण वित्तीय वर्ष (18–19, 19–20, 20–21, 21–22 व 22–23) का निम्नानुसार है:–

अवधि	कुल दर्ज प्रकरणों की संख्या	न्यायालय में चालान	एफ.आर.	पुलिस स्तर पर पेडिंग
2018–19	157	149	6	2
2019–20	129	98	1	30
2020–21	93	14	0	79
2021–22	95	1	0	94
2022–23 (01.04.2022 से 31.12.2022 तक)	103	96	0	07
01.01.2023 से 20.01.2023	17	0	0	17
कुल	578	358	7	213

15. माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण में दिनांक 21.09.2022 द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के खान विभाग एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों द्वारा कमेटी की अनुशंषाओं के आधार पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट व सुझाव आगामी सुनवाई दिनांक 24.01.2023 को वी.सी. के माध्यम से माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

पुलिस द्वारा दिनांक 14.01.2023 से 20.01.2023 के दौरान की गई कार्यवाही

1. पुलिस विभाग द्वारा दिनांक 14.01.2023 को कार्डो एवं सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जिसमें कोतवाली थाने के चम्बल नदी किनारे स्थित मौरोली गांव में करीब 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई कार्यवाही में 21 बिना नम्बर की बाइक, 2 ट्रेक्टर–ट्रॉली जब्त की गई तथा 5 जनों को गिरफ्तार किये गये।

2. दिनांक 15.01.2023 को पुलिस विभाग द्वारा धौलपुर के बसई डांग थाना क्षेत्र में कार्यवाही की गई जिसमें पुलिस द्वारा अवैध चम्बल रेता से भरी तीन ट्रॉलियां पकड़ी गई तथा बिना नंबरी वाहनों में 1 कार, 16 बाइक व ऑटोरिक्शा की बरामदगी कर 5 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया।

3. पुलिस द्वारा राष्ट्रीय चंबल घडियाल अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले कैसरबाग अभयारण्य क्षेत्र में चांदपुर गांव के समीप पूर्व में दिनांक 11.09.2022 को वन विभाग द्वारा की गई की कार्यवाही दौरान खनन माफियाओं की टीम ने वन विभाग के अधिकारियो / कर्मचारियों पर किये हमले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

4. पुलिस विभाग द्वारा जिले भर में दिनांक 17.01.2023 को बजरी के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्यवाही कर 5 ट्रेक्टर–ट्रोली जप्त कर 3 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया गया एवं 22 चक्का ट्रक को सागरपाड़ा चौकी (मध्यप्रदेश–राज़स्थान बोर्डर) नाका बंदी तौडकर भागने पर ट्रक जप्त कर बजरी माफिया को गिरफ्तार किया गया।

5. दिनांक 18.01.2023 को पुलिस एवं संबंधितं विभाग द्वारा धौलपुर जिले में सख्ती करने से चम्बल नदी के किनारे होने वाले अवैध खनन को लगभग पूरी तरह से बन्द करवा दिया गया है।

6. दिनांक 19.01.2023 को पुलिस व वन विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये अवैध चम्बल बजरी से भरी एक ट्रेक्टर–ट्रोली को पकड़ा गया जिसमें चालक मौके से भाग निकला मामलें में, पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया।

अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए संयुक्त टीम गठित करें: एसीएस

एसीएस बोले- अवैध खनन में लिप्त वाहनों को डीजल न देने के लिए पेट्रोल पंपों को पाबंद करें

भास्कर न्यूज | धौलपुर

अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अंतर्गत जिला कलेक्टर कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उन्होंने अवैध खनन को रोकने के लिए संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चेक पॉइंट बनाकर अवैध खनन को रोकने के लिए कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अवैध खनन वाले क्षेत्रों में जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को लघु उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करें ताकि उनका आर्थिक स्तर बेहतर हो सके और सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें। उन्होंने अवैध खनन कार्य में लिप्त लोगों की सम्पत्ति जब्त करने के निर्देश दिए। वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगाकर अवैध खनन के संबंध में निगरानी करें, ड्रोन से सर्वे करवाएं तथा क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग करें। उन्होंने बिना नंबर के ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप संचालकों तथा ऑयल कंपनियों को पत्रा लिखकर अवैध खनन में लिप्त वाहनों को डीजल, पेट्रोल न देने के लिए पाबंद करें। उन्होंने एनजीटी के नियमानुसार सरकार को प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को चंबल में बाढ़ के दौरान फंसे वाटर पंप निकालकर उन्हें दुरूस्त करवाकर शहर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में नल कनेक्शन के लिए खोदी गई सड़कों की पुनः मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, उपवन संरक्षक किशोर गुप्ता, एमई मुकेश मंगल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक
हिन्दुस्तान एक्सप्रेस

अवैध खनन के विरुद्ध संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें - सुबोध अग्रवाल

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ली अधिकारियों की बैठक

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस

धौलपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अन्तर्गत जिला कलक्टर कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उन्होंने अवैध खनन को रोकने के लिए संयुक्त टीम गठित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चैक पॉइंट बनाकर अवैध खनन को रोकने के लिए कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अवैध खनन वाले क्षेत्रों में जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को लघु उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करें ताकि उनका आर्थिक स्तर बेहतर हो सके और सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें। उन्होंने अवैध खनन कार्य में लिप्त लोगों की सम्पत्ति जब्त करने के निर्देश दिए। वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगाकर अवैध खनन के सम्बंध में निगरानी करें, ड्रॉन से सर्वे करवाएं तथा क्षेत्रा में लगातार पैट्रोलिंग करें। उन्होंने बिना नम्बर के ट्रेक्टर ट्रोलियों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पैट्रोल पंप संचालकों तथा ऑयल कम्पनियों को पत्रा लिखकर अवैध खनन में लिप्त वाहनों को डीजल, पैट्रोल न देने के लिए पाबंद करें। उन्होंने एनजीटी के नियमानुसार सरकार को प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को चंबल में बाढ़ के दौरान फसे हुए वाटर पंप निकालकर उन्हें दुरूस्त करवाकर शहर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में नल कनेक्शन के लिए खोदी गई सड़कों की पुनः मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह, उपवन संरक्षक किशोर गुप्ता, एमई मुकेश मंगल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

» धौलपुर... जिला अधिकारियों की बैठक लेते अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल

दैनिक भास्कर

धौलपुर 14-01-2023

अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए संयुक्त टीम गठित करें: एसीएस

एसीएस बोले- अवैध खनन में लिप्त वाहनों को डीजल न देने के लिए पेट्रोल पंपों को पाबंद करें

भास्कर न्यूज | धौलपुर

अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अंतर्गत जिला कलेक्टर कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उन्होंने अवैध खनन को रोकने के लिए संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चेक पॉइंट बनाकर अवैध खनन को रोकने के लिए कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अवैध खनन वाले क्षेत्रों में जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को लघु उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करें ताकि उनका आर्थिक

स्तर बेहतर हो सके और सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें। उन्होंने अवैध खनन कार्य में लिप्त लोगों की सम्पत्ति जब्त करने के निर्देश दिए। वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगाकर अवैध खनन के संबंध में निगरानी करें, ड्रोन से सर्वे करवाएं तथा क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग करें। उन्होंने बिना नंबर के ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप संचालकों तथा ऑयल कंपनियों को पत्र लिखकर अवैध खनन में लिप्त वाहनों को डीजल, पेट्रोल न देने के लिए पाबंद करें। उन्होंने एनजीटी के नियमानुसार सरकार को प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को चंबल में बाढ़ के दौरान फंसे वाटर पंप निकालकर उन्हें दुरूस्त करवाकर शहर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में नल कनेक्शन के लिए खोदी गई सड़कों की पुनः मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, उपवन संरक्षक किशोर गुप्ता, एमई मुकेश मंगल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस

पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बदमाश एवं बजरी माफियाओं के ठिकानों पर 10 थानों की टीम ने मारा छापा

माफिया और बदमाशों में मचा हड़कंप, ट्रैक्टर, बाइक और तीन आरोपी दबोचे

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस

धौलपुर। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में अवैध हथियार, रेता बजरी, अवैध शराब, अवैध खनन व वाहन चोरों ईनामी वांचित अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ सघन तलाशी अभियान के अन्तर्गत एडिशनल एसपी बचन सिंह मीणा, सीओ सिटी सुरेश सांखला के नेतृत्व में शनिवार सुबह 10 पुलिस थानों की टीम एवं आरएसी के जाप्ता ने कोतवाली थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों व गांव मौरोली का पुरा में बजरी माफिया और बदमाशों के संबंधित ठिकानों पर दबिश की कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जप्त कर 21 बाइक समेत तीन बदमाशों को भी दस्तयाब किया है।

» धौलपुर... रेत माफियाओं व बदमाशों पर कार्रवाई करती पुलिस की टीम

» धौलपुर... रेत माफियाओं व बदमाशों की तलाश में छापेमारी कार्रवाई करती पुलिस

एडिशनल एसपी बचन सिंह मीणा ने बताया पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश में बजरी, बंदूक, बागी एवं बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया शनिवार सुबह करीब 10 पुलिस थानों की टीम के साथ आरएसी जाप्ते को साथ लेकर कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव मोरोली का पुरा में बदमाश और बजरी माफियाओं के ठिकानों पर दबिश की कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बाइक, ट्रैक्टर एवं तीन बदमाशों को दस्तयाब किया है। उन्होंने बताया अचानक की गई कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। अधिकांश बजरी माफिया पुलिस की रेड को देख फरार हो गए। जिन्हें पुलिस द्वारा चिन्हित कर लिया गया है। एडिशनल एसपी ने बताया बदमाश और माफियाओं के खिलाफ पुलिस का धरपकड़ अभियान लगातार जारी रहेगा। जब्तसुधा वाहन एवं राउंडअप किए गए बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान कोतवाली थाना अधिकारी अनिल जसौरिया, निहालगंज थाना अधिकारी विजय सिंह, सदर थाना अधिकारी हनुमान सहाय, मनियां थाना अधिकारी लाखन सिंह, कौलारी थाना अधिकारी वीरेन्द्र कुमार, सरमथुरा थाना अधिकारी देवेन्द्र शर्मा, बाड़ी सदर अधिकारी हीरा लाल मीणा, महिला थाना अधिकारी मंजू फौजदार, इसके अलावा पुलिस

धौलपुर भास्कर

बाड़ी • बसेड़ी • सैपऊ | सरमथुरा • मनिया • बसई नवाब

dainikbhaskar.com

जिले में कोडन एंड सर्च ऑपरेशन • वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुस्तैद, शहर में हड़कंप

अपराधियों के 6 ठिकानों पर छापे, 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली बिना नंबर की 21 बाइकों के साथ पांच जने पकड़े

भास्कर न्यूज | धौलपुर

शहर में पुलिस ने आदतन अपराधियों, स्थायी वारंटी और वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए शनिवार को कोडन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में शहर के समीपवर्ती कोतवाली थाने में करीब 6 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की। ऑपरेशन अलसुबह शुरू होकर दोपहर 11 बजे तक चला। पुलिस को देखते ही माफिया बिना नंबर की बाइकों को छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने बिना नंबर की 21 बाइकों के साथ पांच जनों को दबोचा है और दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गई। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस की ओर से जिले के आदतन अपराधियों, स्थायी वारंटी और वांछित अपराधियों की सूची तैयार की गई है। इसके तहत चिह्नितों को पकड़ने के लिए कोडन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऑपरेशन के तहत जिले के सभी थानों की टीमों को पुलिस लाइन बुलाकर अल सुबह कोतवाली थाने के चंबल किनारे स्थित मौरोली गांव में दबिश दी गई। पुलिस की दबिश देखते ही माफिया बिना नंबर की बाइक छोड़कर फरार हो गए। मौरोली गांव में सघन सर्चिंग करने के बाद पुलिस ने आगरा मुंबई हाईवे स्थित गुर्जर कॉलोनी में छापामार कार्रवाई कर बिना नंबर की 21 बाइकों के साथ पांच जनों को दबोचा गया। ऑपरेशन में दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गई। एसपी सिंह ने बताया कि कोतवाली थाने के गांव मौरोली में हार्ड कोर एक, आदतन अपराधी नौ, स्थायी वारंटी 27, सक्रिय वांछित अपराधी चार, फरार वांछित अपराधियों की संख्या तीन है।

बजरी माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सुबह से की कार्रवाई

शहर में कार्रवाई के दौरान खड़ी पुलिस और अपराधी को पकड़ने के लिए गांव में जाती पुलिस।

बीहड़ में गांव, अपराधियों को छिपने के लिए मिलता है उपयुक्त स्थान

एसपी सिंह ने कोतवाली थाने का गांव मौरोली की भागौलिक परिस्थितियां अपराधियों के अनुकूल है। चंबल के तटवर्ती होने के कारण यहां छुपने वाले अपराधी चंबल के रास्ते मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाते है। इसके अलावा गांव में बीहड़ व जंगल क्षेत्र के होने के कारण यहां अपराधियों के माकूल स्थान भी उपलब्ध है। ऐसे में अगर यहां पुलिस पहुंचती है, तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस के गांव में प्रवेश करने से पहले ही अपराधियों को इसकी भनक लग जाती है और वे मौका पाकर यहां से फरार हो जाते है। इस के चलते गांव को सभी ओर से घेर कर अपराधियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है।

बजरी के अवैध व्यापार का केंद्र है मौरोली

पुलिस सूत्रों ने बताया कि गांव मौरोली बजरी के अवैध परिवहन का मुख्य केन्द्र है। शहर के समीपवर्ती होने के कारण स्थानीय कई लोग भी बजरी के अवैध परिवहन में लिप्त है। पूर्व में भी पुलिस ने बजरी के अवैध परिवहन के मामले में गांव मौरोली से कई जनों को गिरफ्तार भी किया है। अमूमन बजरी माफिया बिना नंबर की बाइक से पुलिस की रेकी करते हैं। बिना नंबर की बाइक से पुलिस की लोकेशन का पता लगाया जाता है और बजरी से भरे वाहनों को निकाला जाता है, जिससे बजरी माफिया को पहचानने में चुनौती का सामना करना पड़ता है।

सात थानों समेत आरएसी और पुलिस लाइन के जाप्ते ने दी शहर व आसपास के इलाकों में दबिश

कार्रवाई अपार: समय @ सुबह के चार, अपराधियों पर पुलिस का वार

धौलपुर.बजरी परिवहन में लिप्त ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त करती पुलिस।

धौलपुर. राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के पास बसी कॉलोनियों में दबिश देती पुलिस टीम। पत्रिका

पत्रिका स्पॉटलाइट

वांछित व संदिग्ध अपराधियों पर जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई

बड़ी संख्या में बाइक व ट्रेक्टर-ट्रॉली जब्त, कई हिरासत में

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

धौलपुर. वांछित व संदिग्ध अपराधियों, भगोड़ों, वारंटियों और सक्रिय बदमाशों के खिलाफ शहर व आसपास के इलाकों में जिला पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई।

कार्रवाई में जिले के सात थानों और आरएसी व पुलिस लाइन के जाप्ता मौजूद रहा। पुलिस की ओर से शनिवार को सुबह चार बजे से कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा के नेतृत्व में करीब ढाई सौ पुलिसकर्मियों ने समीप के गांव मौराली, आसपास के मजरा, जाहिद होटल के पास, सौ फीट रोड और गुर्जर कॉलोनी में कार्रवाई की। सुबह सूरज उगने से पहले ही पुलिस अपराधियों की तलाश में गांवों और कॉलोनियों में घुस गई। पुलिस ने कई घरों से बड़ी संख्या में संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

यह किया जब्त

शनिवार सुबह की कार्रवाई में पुलिस ने विभिन्न स्थानों से करीब दो दर्जन बाइक, दो ट्रेक्टर-ट्रॉली बरामद की है। पुलिस ने बिना नंबरी वाहनों और रेता के अवैध परिवहन में शामिल वाहनों को निशाना बनाते हुए कार्रवाई की।

कार्रवाई जारी

शनिवार को सुबह चार बजे से शुरू हुई कार्रवाई सुबह करीब दस बजे तक चली। इसके बाद शाम को एकबार फिर वाहनों की चैकिंग और नाकाबंदी शुरू की गई। समाचार लिखे जाने तक कार्रवाई जारी थी।

यह थाने हुए शामिल

कार्रवाई के दौरान सीओ सिटी सुरेश सांखला, कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जासोरिया, निहालगंज थाना प्रभारी विजय सिंह, सदर थाना प्रभारी हनुमान सहाय, मनियां थाना प्रभारी लाखन सिंह, कौलारी थाना प्रभारी वीरेन्द्र सिंह, सरमथुरा थाना प्रभारी देवेन्द्र शर्मा, बाड़ी सदर थाना प्रभारी हीरालाल मीना, महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार, थानों, पुलिस लाइन व आरएसी का जाप्ता मौजूद रहा।

बजरी का स्टॉक भी पकड़ा

इस मौके पर पुलिस ने सौ फीट रोड और गुर्जर कॉलोनी में कई स्थानों पर बजरी का अवैध स्टॉक भी पकड़ा गया। इस दौरान लोगों के प्लॉट पर अवैध कब्जा कर बैठे लोगों को भी भगाया गया।

धौलपुर. दबिश की कार्रवाई के लिए खड़ा पुलिस अमला।

मच गई भगदड़

पुलिस की कार्रवाई से लोगों में भगदड़ सी मच गई। कार्रवाई के दौरान कई लोग भागते नजर आए। वहीं, कई लोग बिना नंबर की बाइक पटकर कर भाग गए। कुछ को पुलिस ने पीछा कर पकड़ा भी। वहीं, कई संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है।

इनका कहना है

जिला पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

धर्मेन्द्र सिंह,
पुलिस अधीक्षक, धौलपुर

धौलपुर. कार्रवाई के दौरान संदिग्धों को हिरासत में लेते पुलिसकर्मी।

चार बस और करीब 30 चौपहिया वाहन में पुलिस

शनिवार की कार्रवाई के दौरान चार बस और करीब 30 चौपहिया वाहनों में पुलिस शामिल हुई। इसके साथ ही कई बाइक पर भी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पूरी कार्रवाई में करीब 250 पुलिसकर्मी शामिल हुए।

पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 5 गिरफ्तार 16 मोटरसाइकिल व स्कॉर्पियो जब्त

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस

धौलपुर। धर्मेन्द्र सिंह पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशन में अवैध हथियार, चंबल रेता, अवैध शराब, अवैध खनन व वाहन चोरों, ईनामी व वांछित अपराधियों के विरुद्ध धरपकड व सघन तलाशी अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक धौलपुर निर्देशन में व बचन सिंह अति. पुलिस अधीक्षक धौलपुर एवं सीओ बाड़ी, सीओ सिटी धोलपुर, थानाधिकारी निहालगंज, कोलारी, सरमथुरा, बाडी, बाड़ी सदर महिला थाना सदर धोलपुर, कोतवाली चौलपुपर बसईडांग मय जाब्ता पुलिस लाईन का जाब्ता आरएसी कंपनी का जाब्ता एवं जाब्ता यातायात धौलपुर के साथ ईलाका थाना बसईडांग क्षेत्र में ग्राम चिलीपुरा, ज्वारे का पुरा, मुरहन का पुरा, गोठियापुरा, जोगियापुरा, भगतपुरा, रजई, पटेवरी में वांछित अपराधियों व बदमाशान, स्थाई वारंटियों फरार अपराधियों की तलाश हेतु सर्च अभियान व संदिग्ध वाहनों की चैकिंग की कार्यवाही करते हुये कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया एवं 16 मोटरसाईकिलें व 01 ऑटोरिक्शा एवं 01 स्कॉर्पियों को जब्त किये गये है। इस प्रकार की कार्यवाही हेतु सघन अभियान तलाशी व वाहन चैकिंग जारी रहेगा।

» धौलपुर... रेत माफियाओं व बदमाशों पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस की टीम

वारंटियों और फरार अपराधियों को धरपकड़ अभियान जारी, बसईडांग क्षेत्र में की कार्रवाई

16 बाइक, स्कॉर्पियो और ऑटो जब्त, 5 संदिग्ध पकड़े

धौलपुर | पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में वांछित एवं अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत रविवार को विभिन्न थानों के जाब्ता एवं पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता के साथ रविवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा के नेतृत्व में बसईडांग थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर अपराधियों व संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। वहीं वांछित अपराधियों के ठिकानों से 16 बाइकें एवं एक ऑटो रिक्शा व एक स्कॉर्पियो को जब्त किया है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जिलेभर में अवैध हथियार, चंबल रेता, अवैध शराब, अवैध खनन व वाहन चोरों, इनामी व वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ व सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को थाना बसईडांग क्षेत्र में ग्राम चिलीपुरा, ज्वारे का पुरा, मुरहन का पुरा, गोठियापुरा, जोगियापुरा, भगतपुरा, रजई, पटेवरी में वांछित अपराधियों व बदमाशान, स्थाई वारंटियों, फरार अपराधियों की तलाश के लिए सर्च अभियान व संदिग्ध वाहनों की चैकिंग की कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वहीं 16 बाइकें व 1 ऑटोरिक्शा एवं 1 स्कॉर्पियों को जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई के लिए सघन अभियान जारी रहेगा।

बसईडांग में वारंटियों और फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस का काफिला।

एक स्कॉर्पियो कार व 16 बाइक जब्त, पांच संदिग्ध हिरासत में

अब डांग के इलाकों में अपराधियों पर शिकंजा

रविवार को भी जारी रहा जिला पुलिस का अभियान

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

धौलपुर. अपराधियों के खिलाफ जिले में शुरू किया गया अभियान रविवार को भी जारी रहा। रविवार को जिला पुलिस ने बसई डांग क्षेत्र में अपराधियों की धरपकड़ और बिना नंबरी वाहनों की बरामदगी की। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में शुरू किए इस अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा ने किया। इस दौरान पुलिस ने चिलीपुरा, ज्वारेकापुरा, मुरहनकापुरा, गोठियापुरा, जोगियापुरा, भगतपुरा, रजई और पटेवरी गांवों में दबिश दी। इस दौरान विभिन्न थानों, पुलिस लाइन व आरएसी का जाप्ता मौजूद रहा।

धौलपुर. बसई डांग थाना इलाके के गांवों में दबिश देने जाती पुलिस।

धौलपुर. दबिश के दौरान रेता से भरी ट्रॉलियों को निष्क्रिय करती पुलिस।

यह किया जब्त

रविवार को की गई कार्रवाई में पुलिस ने विभिन्न स्थानों से 16 बाइक, एक स्कॉर्पियो कार व एक ऑटोरिक्शा बरामद किया। पुलिस को एक स्थान पर अवैध चंबल रेता से भरी तीन ट्रॉलियां भी मिलीं। पुलिस ने ट्रॉलियों के प्रशर पाइप काट दिए और टायरों से हवा निकाल दी।

यह थाने हुए शामिल

कार्रवाई के दौरान बसई डांग थाना प्रभारी मोहन सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जासोरिया, निहालगंज थाना प्रभारी विजय सिंह, सदर थाना प्रभारी हनुमान सहाय, कौलारी थाना प्रभारी वीरेन्द्र सिंह, सरमथुरा थाना प्रभारी देवेन्द्र शर्मा, महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार, बाड़ी थाना से महेन्द्र सिंह, यातायात प्रभारी मंगतूराम, बाड़ी सदर थाना व थानों, पुलिस लाइन व आरएसी का जाप्ता मौजूद रहा।

नवंबर, 2023

धौलपुर पत्रिका

patrika.com

बाड़ी . बसेड़ी . राजाखेड़ा . मनियां . सरमथुरा . सैंपऊ . बसई नवाब

सड़क सुरक्षा सप्ताह समाप्त, जागरुकता...

पेज@16

आपके साथ चलेंगी खबरें

पत्रिका डिजिटल पर अपनी खबर का व्यापक कवरेज, वीडियो व फोटो देखने और अपनी राय रखने के लिए संबंधित लोगो के साथ दिए लिंक को मोबाइल पर टाइप करें_

यहां आपकी या आपके क्षेत्र की खबर से जुड़ा वीडियो अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं।

इस लिंक की मदद से देखें घटना-कार्यक्रम से जुड़ी अन्य तस्वीरें।

यहां मिलेगी खबर से जुड़ी विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत और एक्सक्लुसिव जानकारी।

अपने शहर, प्रदेश और देश-दुनिया के मुद्दे से जुड़े ऑनलाइन सर्वे में शामिल होकर दें अपनी राय।

आप संबंधित मुद्दे-खबर पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।

पत्रिका

पत्रिका टीवी पर देखें पल पल की खबरों के अपडेट और व्यापक कवरेज। पत्रिका के यूट्यूब चैनल पर देखें खबरों के ताजा वीडियो।

चार बजरी माफिया गिरफ्तार, रेता ले जाते पांच ट्रेक्टर-ट्रॉली व एक ट्रक जब्त

जिलेभर में रेता के के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

धौलपुर/ बाड़ी/ राजाखेड़ा/ सरमथुरा. जिले में मंगलवार को चंबल रेता के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई।

विभिन्न थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन बजरी माफिया को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में पांच ट्रेक्टर-ट्रॉली व एक 22 चक्का ट्रक भी जब्त किया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सागरपाड़ा से नाकाबंदी तोड़ कर भाग रहे एक 22 चक्का ट्रक को जब्त कर एक बजरी माफिया को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि मंगलवार तडक़े सागरपाड़ा पर नाकाबंदी के दौरान एक 22 चक्का टक आता दिखा। जिसे रुकने का इशारा किया तो वह नाकाबंदी तोड़ कर शहर की ओर भागने लगा। इस पर पुलिस ने पीछा कर उसे रोक लिया। तलाशी में ट्रक में प्रतिबंधित चंबल रेता मिला। इस पर पुलिस ने ट्रक चालक हरकंदकापुरा थाना दिहौली निवासी श्रीकृष्ण गुर्जर (27) को गिरफ्तार कर लिया।

बाड़ी सदर थाना पुलिस ने प्रतिबंधित चंबल रेता ले जाती एक टेक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। थाना प्रभारी हीरालाल ने बताया कि रेता से भरी एक टेक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान चालक फरार हो गया।

राजाखेड़ा थाना पुलिस ने प्रतिबंधित चंबल रेता का परिवहन करती एक टेक्टर ट्रॉली को जब्त कर दो बजरी माफिया को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी गंगासहाय ने बताया कि सुबह गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बसईधीयाराम की ओर से एक ट्रेक्टर रेता लेकर राजाखेड़ा की ओर आ रहा है। इस पर पुलिस ने कस्बे के पास बसई धीयाराम रोड पर एक बिना नंबरी ट्रेक्टर को रेता का परिवहन करते जब्त किया। इस मामले में पुलिस ने दो रेता माफिया गोरखे की मढैया मजरा सिंघापुरा निवासी राजकुमार निषाद (40) तथा सैया करकोली आगरा निवासी तुलाराम निषाद (28) को गिरफ्तार किया है। वहीं, दिहौली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सोमवार देर रात कार्रवाई कर रेता से भरे एक टेक्टर-ट्रॉली को जब्त किया। वहीं, बजरी माफिया फरार हो गया। थाना प्रभारी बीधाराम ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अंडवापुरैनी-चीलपुरा रोड पर मोरबसैया के पास रेता से भरा एक टेक्टर आता दिखा। पुलिस को देख चालक बीहड़ों में फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया।

सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई कर रेता का अवैध परिवहन करते एक ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। बजरी माफिया भागने में सफल रहा। थाना प्रभारी देवेन्द्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सोनेकागुर्जा रोड पर मानपुर मोड़ के पास एक बिना नंबरी ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान बजरी माफिया फरार हो गया।

धौलपुर. कोतवाली थाना पुलिस की गिरफ्त में बजरी माफिया।

एक ट्रेक्टर-ट्रॉली जब्त

सदर थाना पुलिस ने प्रतिबंधित चंबल रेता से भरे एक ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त कर एक बजरी माफिया को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने बताया कि नेशनल हाइवे 44 पर सदर थाना चौराहा पर रेता से भरे एक ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त कर भिर्जापुर निवासी संतोष कुमार गुर्जर (42) को गिरफ्तार किया है।

बजरी का अवैध परिवहन रोकने के लिए एमपी बॉर्डर पर बढ़ी पुलिस की सख्ती

धौलपुर | सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी की रोकथाम के लिए जिला पुलिस ने सख्ती कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में शुरू किया गया अभियान बुधवार को भी जारी रहा। इस क्रम में मध्य प्रदेश बॉर्डर पर भी अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया है। घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित बजरी की तस्करी रोकने के लिए सागरपाड़ा चौकी पर बुधवार सुबह से ही पुलिस बल तैनात किया गया है। एसपी धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि बजरी को रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। धौलपुर जिले में चंबल नदी के किनारे होने वाले अवैध खनन को लगभग पूरी तरह से बंद करा दिया गया है, जिसके चलते बजरी माफिया मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल किनारे से लगातार बजरी की निकासी कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में चंबल से बजरी निकालने के बाद माफिया पुलिस से नजर बचाकर आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे 44 पर होकर आगरा की ओर निकलते हैं, जिसे रोकने के लिए मध्य प्रदेश की सीमा स्थित पुलिस की सागरपाड़ा चैक पोस्ट पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। एसपी ने बताया कि हाईवे से होकर गुजरने वाले सभी वाहनों पर नजर रखी जा रही है। हाल ही में पुलिस ने बजरी से भरा एक ट्रक जब्त किया है।

सरमथुरा में अवैध चंबल रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

सरमथुरा | थाना क्षेत्र में अवैध चंबल बजरी के धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस थाना एवं वन विभाग की टीम सरमथुरा ने गुरुवार को संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर अवैध चंबल बजरी परिवहन कर ले जाते एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले को लेकर पुलिस द्वारा वन्यजीव अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सरमथुरा थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस थाना सरमथुरा और वन विभाग टीम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए झिरी रोड भमपुरा मोड़ के पास एक युवक को फार्मट्रेक बिना नंबरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पर अवैध बजरी ले जाते हुए पकड़ा हैं। आरोपी ट्रैक्टर चालक भोलाराम मीणा

सरमथुरा. अवैध चंबल रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली और चालक।

(28) पुत्र सियाराम मीणा निवासी गांव बसंतपुरा थाना सरमथुरा का निवासी है। ऐसे में ट्रैक्टर-ट्रॉली को मौके से जब्त कर और आरोपी के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अवैध चंबल बजरी कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया की अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ आगे भी पुलिस और वन विभाग का अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस की इस कार्रवाई में एसएचओ देवेंद्र कुमार के साथ कांस्टेबल विनोद कुमार, कांस्टेबल शिवचरण, गोपाल सिंह सहित वन विभाग की टीम मौजूद रहीं।

बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त, चालक फरार

बसई नवाब | कौलारी थाना पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी दोहन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान चंबल बजरी का परिवहन कर ले जा रहे एक ट्रैक्टर को बजरी से भरी ट्रॉली सहित जब्त किया। कौलारी थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि चंबल बजरी से भरे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा है। इस दौरान ट्रैक्टर चालक मौके से भाग गया। कौलारी थाना पुलिस ने फॉरेस्ट एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। साथ ही ट्रैक्टर चालक को चिह्नित कर तलाश करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी, चालक फरार

सैंपऊ. पुलिस ने जब्त की ट्रेक्टर ट्रॉली।

पुलिस व वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

सैंपऊ. कौलारी थाना पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त रूप से अवैध चंबल बजरी के खिलाफ कार्रवाई की बजरी से भरे एक ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। जबकि चालक मौके से भाग निकला। थाना अधिकारी वीरेद्र सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थाना पुलिस ने वन विभाग के साथ कार्रवाई कर चंबल बजरी से भरी एक ट्रेक्टर-ट्रॉली को पकड़ा हैं। जबकि आरोपी चालक मौके से भाग निकला। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

नाकाबंदी कर रहे पुलिसकर्मियों पर माफिया ने ट्रैक्टर चढ़ाया

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस

धौलपुर। बजरी माफिया को रोकने के लिए पुलिस की नाकाबंदी लगातार चल रही है। रविवार शाम को सदर थाना क्षेत्र के पचगांव चौकी पर नाकाबंदी कर रहे पुलिसकर्मियों पर बजरी खाली कर लौट रहे माफिया ने ट्रैक्टर चढा दिया। ट्रैक्टर को अपनी ओर आता देख पुलिसकर्मियों ने भागकर जान बचाई। इस दौरान माफिया ने ट्रैक्टर चौकी की दीवार में घुसा गया। मौके पर नाकाबंदी कर रहे चौकी प्रभारी जानकी नंदन मीणा ने बताया कि चंबल बजरी माफियाओं की रोकथाम के लिए लगातार नाकाबंदी की जा रही है। रविवार शाम को भरतपुर की ओर से बजरी खाली कर लौट रहे एक ट्रैक्टर को जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो ट्रैक्टर चला रहे माफिया ने नाकाबंदी कर रहे पुलिसकर्मियों को जान से मारने की नियत से उन पर ट्रैक्टर चढा दिया। ट्रैक्टर को अपनी ओर आता देख पुलिसकर्मी इधर-उधर कूदकर बचने के लिए लेकिन ट्रैक्टर चौकी की दीवार में जा घुसा। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर की दीवार में लगते ही उस पर बैठा माफिया भाग निकला। इस दौरान नाकाबंदी कर रहे पुलिसकर्मियों ने भागकर माफिया को दबोच लिया। जिसने पूछताछ में अपना नाम अभिषेक (24) पुत्र केबरन निवासी कुंकरा बताय चौकी प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने मौके से ट्रैक्ट को जब्त कर आरोपी को हिरासत में लिया है। जिस पूछताछ की जा रही है।

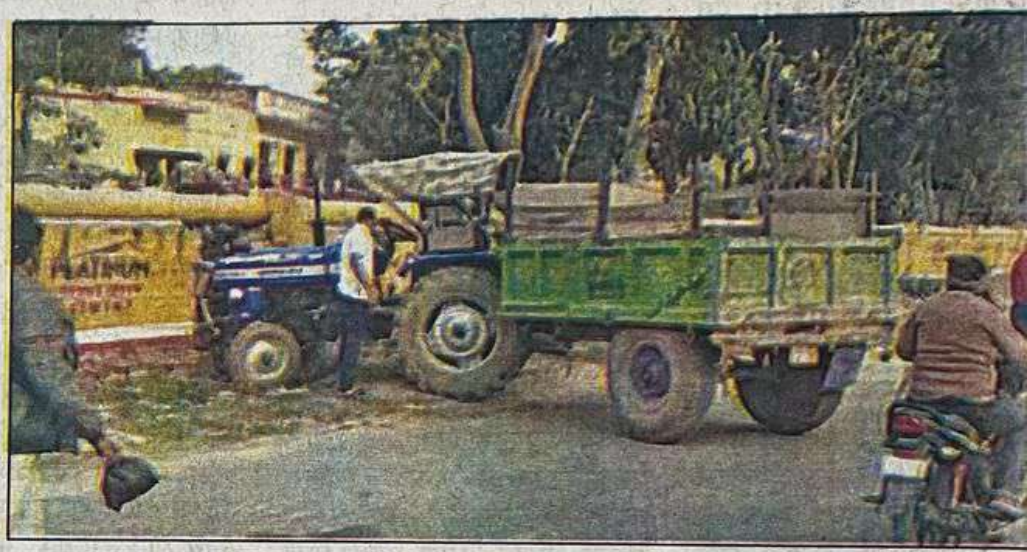

टी,नगर परिषद ऑफिस के निकट,मचकुण्ड रोड,धौलपुर(राज.) से प्रकाशित आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/27740 संपादक चन्द्रप्रकाश शिवहरे।
4444, 224666, 224777 फैक्स: 223324 पीआरबी एक्ट के तह खबरों के चयन के लिए स्थानीय संपादक जिम्मेवार

अनियंत्रित हो तोड़ दी दीवार

बजरी के ट्रेक्टर-ट्रॉली ने मारी पुलिस चौकी को टक्कर

धौलपुर. पुलिस की गिरफ्त में बजरी माफिया।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

धौलपुर. पुलिस से बच कर भाग रही बजरी के अवैध परिवहन में जुटी एक ट्रेक्टर-ट्रॉली ने पचगांव चौकी की दीवार को टक्कर मार दी। टक्कर से दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने बजरी माफिया को गिरफ्तार कर ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया है।

पचगांव चौकी प्रभारी जानकीनन्दन मीणा ने बताया कि रविवार दोपहर को वे एनएच 123 के बाइपास से पचगांव चौकी की ओर आ रहे थे। बाइपास के पास रास्ते में उन्हें एक अवैध चंबल रेता से भरी ट्रेक्टर-ट्रॉली दिखी। पुलिस को देख ट्रेक्टर चालक कूकरा-माकरा निवासी अभिषेक ने ट्रेक्टर वापस पचगांव चौकी की ओर भगा दिया। इस दौरान चालक ने ट्रॉली

धौलपुर. पचगांव चौकी की दीवार से टकराया बजरी माफिया का ट्रेक्टर।

खाली कर दी। मीणा ने पचगांव चौकी पर नाकाबंदी करा दी। वहां पुलिस को देख ट्रेक्टर चालक ने तेज गति से ट्रेक्टर को वापस घुमाया। इस पर वह अनियंत्रित होकर चौकी की दीवार से जा भिड़ा। इससे दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। चालक ट्रेक्टर छोड़ कर पैदल ही खेतों में भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

प्रदर्श - 1

Item No. 05 (Court No. 1) 285

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(By Video Conferencing)

Original Application No. 248/2022

In re: News item published in The Hindu dated 27.03.2022 titled **"Digging up the Chambal"**

Date of hearing: 05.04.2022

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MS. JUSTICE PUSHPA SATHYANARAYANA, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE PROF. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

ORDER

1. The matter has been taken up on the basis of captioned media report to the effect that illegal mining is taking place in the periphery of Keoladeo National Park in Rajasthan near Dholpur. The area is also close to National Chambal Sanctuary which is habitat of rare species of animals particularly Gharial, roofed turtles and also river dolphins. Illegal and unscientific mining is resulting in pollution in the area, adversely affecting the environment and public health. Blanket clearances are given for mining projects in violation of Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 and 2020.

2. It is well known that mining can be allowed only after requisite EC in terms of directions of the Hon'ble Supreme Court in *Deepak Kumar v. State of Haryana & Ors., (2012) 4 SCC 629* for which District Survey Report and Replenishment study have to be prepared and appraisal conducted.

3. In view of above averments, we constitute an Eight Member Joint Committee comprising DGF&SS, Wildlife, MoEF&CC; Director, National Chambal Sanctuary; Secretaries Mining, Rajasthan, UP and M.P. and UP, MP and Rajasthan State PCBs. Madhya Pradesh State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The Committee may meet within two weeks, undertake visit to the site, interact with the stakeholders and prepare an action plan for remedial action for protecting aquatic habitats, demarcating and notifying areas for sand mining operations in conformity with ESMG 2016 and SSMG 2020, replenishment potential without conflicting with the national parks/ sanctuaries or any ecological habitat area, whether notified or not. The statutory authorities may take further remedial action in light to the said action plan, as per law. A factual and action taken report may be filed before this Tribunal within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List for further consideration on 06.07.2022.

A copy of this order along with the media report may be forwarded to DGF&SS, Wildlife, MoEF&CC; Director, National Chambal Sanctuary; Secretary Mining, Rajasthan, UP and M.P. and UP, MP and Rajasthan State PCB by e-mail for compliance.

Adarsh Kumar Goel, CP

Sudhir Agarwal, JM

Pushpa Sathyanarayana, JM

Prof. A. Senthil Vel, EM.

April 05, 2022
Original Application No. 248/2022
SN

Item No. 02 Court No. 1

BEFORE T L GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(By Video Conferencing)

Original Application No. 248/2022

In re: News item published in The Hindu dated 27.03.2022 titled **"Digging up the Chambal"**

Date of hearing: 21.09.2022

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE PROF. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Respondent(s): Mr. Raghav Sharma, Advocate for MPPCB

ORDER

1. The matter has been taken up on the basis of captioned media report to the effect that illegal mining is taking place in the periphery of Keoladeo National Park in Rajasthan near Dholpur. The area is also close to National Chambal Sanctuary which is habitat of rare species of animals particularly Gharial, roofed turtles and also river dolphins. Illegal and unscientific mining is resulting in pollution in the area, adversely affecting the environment and public health. Blanket clearances are given for mining projects in violation of Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 and 2020.

2. It is well known that mining can be allowed only after requisite EC in terms of directions of the Hon'ble Supreme Court in *Deepak Kumar v. State of Haryana & Ors., (2012) 4 SCC 629* for which District Survey Report and Replenishment study have to be prepared and appraisal conducted.

Scanned with CamScanner

Gb

3. Vide order dated 05.04.2022, the Tribunal constituted Eight Member Joint Committee comprising DGF&SS, Wildlife, MoEF&CC; Director, National Chambal Sanctuary; Secretaries Mining, Rajasthan, UP and M.P. and UP, MP and Rajasthan State PCBs. The Committee was to prepare an action plan for remedial action for protecting aquatic habitats, demarcating and notifying areas for sand mining operations in conformity with ESMG 2016 and SSMG 2020, replenishment potential without conflicting with the national parks/ sanctuaries or any ecological habitat area, whether notified or not.

4. In pursuance of above, the Committee has given its report on 14.07.2022. Relevant extracts from the report are:

"OBSERVATIONS:-

The Joint Committee decided to visit the illegal sand mining site mentioned in news item published in The Hindu dated 27/03/2022 titled "Digging of Chambal". So joint committee visited the Rajghat site situated adjacent to Road bridge on Morena-Dholpur Road in Village Bhanpur, Tehsil and District Morena. Following observations were made by the joint committee at this site:-

1. ***Illegal sand mining was carried out at the site continuously by using JCBs and loaders on right bank of Chambal river known as Rajghat which is situated in village Bhanpur of Tehsil and District Morena in Madhya Pradesh.*** *A big exposed sand bed area seen at this site. About 30-40 tractor trolleys were seen on the site, which are used for transportation of sand. From the site. Photographs taking during visit are enclosed as Annexure C-15.*

2. *Sand was excavated from exposed sand bed and also from river stream. Sand bed cuts were seen about 10-20 feet deep from where sand has been already excavated.*

3. *Tractors were moving continuously in and out from this illegal sand mining site. These transport vehicles either go towards Morena, MP or towards Dholpur, Rajasthan.*

4. *Two other Chambal river bank sites having exposed sand bed situated in Dholpur District, Rajasthan were also visited by Joint Committee. On both sites no sand excavation was seen to be carried out. Photographs taken during visit at both sites are enclosed as Annexure C-16 & C-17. Details of sites and status of sand mining observed is as follows :*

Scanned with CamScanner

Sr. No.	Site Location	GPS Coordinates	Observation at site
1	Village Basaineem, Tehsil Dholpur, District Dholpur, Rajasthan	26.6494N 77.8950E	No sand mining activity seen
2	Village Shankarpura, Tehsil Rajakheda, District Dholpur, Rajasthan	26.6744N 78.0847E	No sand mining activity seen

5. About the issue of blanket clearances to sand mine projects in NCS area it is stated that National Chambal Sanctuary is a protected area under The Wild Life Protection Act of 1972. Hence sand mining could not permitted in NCS area. Requisite EC, Appraisal of District Survey Report and Replenishment study are only required when any mining could be permitted in the NCS area.

6. About the issue of preparation of action plan for sand mining as per prevailing guidelines etc. it is stated that sand mining is not permitted in NCS area, hence at present there is no need of preparation of action plan for demarcating and notifying areas for sand mining operation in conformity with ESMG 2016 and SSMG 2020 and Replenishment potential of of Chambal River in NCS area.

(A) FACTUAL STATUS OF THE MAJOR ISSUES RAISED IN PETITION ON WHITCH STATUS REPORT SOUGHT BY HON'BLE NGT THROUGH ORDER DATED 05.04.2022

On the basis of observation made by Joint Committee the factual status against the issues raised in petition on which status report sought by Hon'ble NGT through order dated 05.04.2022 is summarized as below:-

S. No.	Detail of Issues	Factual status
1	**The matter has been taken up on the basis of captioned media report to the effect that illegal mining is taking place in the periphery of Keoladeo National Park in Rajasthan near Dholpur. The area is also close to National Chambal Sanctuary which is habitat of rare species of animals particularly Gharial, roofed turtles and also river dolphins. Illegal and unscientific mining is resulting in pollution in the area, adversely affecting the environment and public health. Blanket clearances are given for mining projects in violation of Sustainable**	Illegal sand mining from various identified locations in NCS area is reported to be carried out by sand mafia. Keoladeo National Park, Bharatpur is far away from NCS area. So this is not correct to say that illegal sand mining is taking place in the periphery of Keoladeo National Park in Bharatpur. But it is reported that sand mafia uses interior routs passing from the periphery of Keoladeo National Park for transportation of sand illegally mined out from NCS area. River Chambal water quality in NCS area is regularly monitored by concerning SPCBs through total seven sampling stations (4 in MP, 2 in Rajasthan and 1 in UP). Water quality of river is compared with Indian

68

	Sand Mining Guidelines, 2016 and 2020.	*Standards for Inland Surface Water IS:2296-1982. The brief of category and class of inland surface water specified in standards is as follows:* **Category** / **Classification (suitable for)** A – Drinking water source without conventional treatment but after disinfection B – Outdoor Bathing C – Drinking water source with conventional treatment followed by disinfection D – Fish Culture and wild life propagation E – Irrigation, Industrial cooling or controlled waste disposal *The Chambal River water quality in year 2020 and 2021 in NCS area found in category A to B in MP (4 sampling stations) and category B in Rajasthan (2 sampling stations) and category D in UP (1 sampling station). Governing parameters found responsible for deterioration of category of water are MPN and BOD which is mainly imparted by discharge of sewage in to river from nearby habitations / townships.* *Since National Chambal Sanctuary is a protected area notified under The Wild Life Protection Act of 1972. Hence sand or other mineral mining is completely prohibited in NCS area. So there is no question of giving blanket clearances to any sand mining project in NCS area in violation of Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 and 2020 since sand mining is not permitted in NCS area.*
2	**It is well known that mining can be allowed only after requisite EC in terms of direction of the Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar v. State of Haryana & Ors., (2012) 4 SCC 629 for which District Survey Report and Replenishment study have to be prepared and appraisal conducted.**	*National Chambal Sanctuary is a protected area. Hence sand mining could not permitted in this area. Requisite EC, Appraisal of District Survey Report and Replenishment study are only required when any mining could be permitted in the NCS area.*
3	**In view of above averments, we constitute and Eight Member Joint Committee comprising DGF&SS, Wildlife, MoEF&CC; Director,**	*The Joint Committee meeting and field inspection has been performed on 17.05.2022 at NCS Morena, MP office. In NCS area illegal sand mining is reported to be carried out at various*

	National Chambal Sanctuary: Secretaries Mining, Rajasthan, UP and M.P. and UP, MP and Rajasthan State PCBs. Madhya Pradesh State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The Committee may meet within two weeks, undertake visit to the site, interact with the stakeholders and prepare an action plan for remedial action for protecting aquatic habitats, demarcating and notifying areas for sand mining operations in conformity with ESMG 2016 and SSMG 2020, replenishment potential without conflicting with the nation parks/sanctuaries or any ecological habitat area, whether notified or not. The statutory authorities may take further remedial action in light to the said action plan, as per law. A factual and action taken report may be filed before this Tribunal within two months by e-mail.	*locations already covered in this report. Illegal Mining is the major threat for aquatic habitats of NCS area.* *Since sand mining is not permitted in NCS area, hence at present there is no need of preparation of action plan for demarcating and notifying areas for sand mining operation in conformity with ESMG 2016 and SSMG 2020 and Replenishment potential of Chambal River in NCS area.* *For protecting aquatic habitats from the threat of illegal sand mining in NCS area, Joint committee made various recommendations after detailed discussion and feed back provided by stack holder departments which are elaborated in recommendation part of this report.* *This factual and action taken report is prepared by Joint Committee for submission before Hon'ble NGT.*

RECOMMENDATIONS :

After detailed discussion in meeting and field visit, facts came to the knowledge of joint committee, it is clear that illegal sand mining is carried out in NCS area by well organized sand mafia supported political persons in background. Sand mafia evolved the villagers residing near Chambal for carrying out illegal sand mining. In case of any raid by forest department, SIT etc., these people gathered in large number and equipped with weapons, stones, sticks etc. Several incidents of conflict, firing and protest have been reported during raids. In-spite lot of efforts and action taken by forest department, SIT etc. it is not possible to stop the illegal sand mining from NCS area. So joint committee firmly submits the following recommendations to stop/control the illegal sand mining in NCS area :

1. *An independent dedicated special task force either State Police or Central force may be deployed at illegal sand mining sites in NCS area for taking stern action against defaulters at least two full sand seasons.*
2. *An interstate task force may be constituted with members of stack holder departments for proper co-ordination and joint action.*
3. *Adequate number of check post equipped with CCTV surveillance camera connected with server accessible to all concern shall be provided for effective monitoring.*
4. *Creating alternative livelihood opportunity for locals who are totally dependent on illegal mining.*

Scanned with CamScanner

5. *Equipping forest force with latest weapons and increasing their numbers along with boat patrolling and drone survey facilities.*
6. *Creating alternative of sand available in this area like sand crush etc. since there is no alternate of NCS where alternate sand may be there.*
7. *Opening source area for legal mining. It is under pipeline. NCS Morena have proposed 292 hectare of area for de-notification, so that local requirement can be fulfilled. This proposal is with NBWI for approval.*
8. *In case of Law and Order situation if any enquiry is instituted against any forest officer, then power of magisterial enquiry should be given to the forest department.*
9. *Considering it a big problem, every stack holder department should come together and do their bot.*
10. *RTO shall be directed to seize transport vehicles used in illegal transportation of river sand from NCS area and to cancel registration of illegal miners vehicle who are without number plates.*
11. *Petrol pump not to give diesel/petrol to vehicles involved in this.*
12. *Illegal properties of illegal miners to be seized.*
13. *Police to come heavily on illegal miners.*
14. *Revenue department to register case against those whose land is used for illegal sand dumping.*
15. *A strong political will required to stop the activities of sand mafia.*
16. *A mass publicity of action taken by forces on illegal mining should be regularly carried out through local news paper, FM Radio etc.*
17. *Local public participation also needs to be encouraged for their contribution to control the illegal mining. Awareness campaign among the public about the side effects of illegal mining through MLAs, MPs and public representatives may be started by forest department or other concerned authorities.*
18. *A continuous media campaign shall be started for creating awareness in public about environment and wild life related to Chambal River and side effects of illegal mining on it.*

(B) ACTION TAKEN REPORT:-

1. *Action taken report of year 2021-22, for stopping illegal sand mining and transportation from Chambal River in NCS area, was called upon by Joint Committee from concerned departments. As per reports received from concerning departments, status is summarized as below :*

   (a) ***ATR of NCS/Forest Department, Morena, Madhya Pradesh***
   Cases of illegal sand mining/transportation registered – 193 Vehicle seized - 137

   (b) ***ATR of NCS/Forest Department, Agra, Uttar Pradesh***
   Cases of illegal sand mining/transportation registered – 10 Vehicle seized - Nil

   (c) ***ATR of Mining Department, Bharatpur Rajasthan***

71

Action taken by Forest department and Police department jointly in Dholpur district -- Cases of illegal sand mining/ transportation/ storage registered – 89 Vehicles seized – 88

(d) **ATR of Mining Department, Morena, Madhya Pradesh**
Within NCS area action are taken by Forest department.

2. Hon'ble NGT Central Zonal Bench Bhopal passed an order on 25.05.2022 in the matter OA 57/2021 Dr. Govind Singh-MLA Vs State of Madhya Pradesh . Copy of order is enclosed as Annexure C-18. This case is on the issues related to illegal sand mining in the basin of river Sindh and Chambal in different places of district Bhind, Datia, Gwalior and Morena. In compliance to Hon'ble NGT Order dated 25.05.2022 a meeting of stack holder departments was called upon recently by Chief Secretary of Madhya Pradesh on dated 27.06.2022. Copy of minutes of meeting received from Mineral Resources Department of Madhya Pradesh is enclosed as Annexure C-19 ."

5. From the above, it is seen that illegal sand mining was found to be taking place continuously on the bank of Chambal River not only in Rajasthan but also in Madhya Pradesh. Further, it is a matter of common knowledge that some area of UP in this region is also similarly vulnerable. The report finds that sand Mafias are using interior routs for conducting illegal mining in the national park, which are supported by political persons and are well equipped with weapons. Recommendations are for constitution of inter-state Special Task Force equipped with latest weapons, installing CCTV cameras, coordination with all stakeholders, taking safety measures in dispensing diesel and petrol for the vehicles involved in illegal mining, creating awareness, listing public participation and handling the law violators by enforcing the law as well as by providing them alternative means of livelihood.

6. Learned Counsel for the MP State PCB has put in appearance and drawn our attention to order dated 17.08.2020 by the Central Zone Bench,

72

Bhopal in OA No. 57/2021(CZ), *Dr. Govind Singh-MLA vs. State of Madhya Pradesh & Ors.* noting the steps taken by the State of MP.

7. We have considered the matter and find that while the above order records the steps taken by the State of MP, without being in conflict with the said order, it is necessary to take further measures in the light of report dated 14.07.2022 of the eight-member Committee which was not before the Central Zone Bench, Bhopal while passing the order. As already noted, the problem is not only within MP but also on the border areas of MP, Rajasthan and UP and inter-state coordination issue is required to be gone into which has not been dealt with in the order referred to above.

8. We are thus broadly in agreement with the report and direct further action in the light of the recommendations therein. Such action may be overseen by the Additional Chief Secretaries, Mining and Environment Departments of Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh in their respective jurisdictions and they may appear before the Tribunal by video conference for assistance in issuing further directions to remedy the situation. The Director-General of Forests & Special Secretary (DGF&SS), Wildlife, MoEF&CC may also remain present in person through video conference on the next date.

List for further consideration on 24.01.2023.

A copy of this order be forwarded to Additional Chief Secretaries, Mining and Additional Chief Secretaries, Environment Departments of Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh and DGF&SS, Wildlife, MoEF&CC by e-mail for compliance.

Adarsh Kumar Goel, CP

Scanned with CamScanner

73

Sudhir Agarwal, JM

Prof. A. Senthil Vel, EM

September 21, 2022
Original Application No. 248/2022
DV

Annexure/4 पृष्ठ - 3

Government of Rajasthan
Mines (Gr.-II) Department

No. F.11(1)(219)Mines.Gr.-II/2018 Jaipur, Dated: 10 MAY 2018

All District Collectors

Sub.: To constitute special investigating teams for preventing illegal mining/transporatation/stock of bajri.

In above mention subject matter, Hon'ble High Court, Jaipur in S.B.C. Writ Petition no. 9458/2018 vide order dated 03.05.2018 has directed to constitute special investigating teams for preventing illegal mining, transporatation and stock of bajri. You are therefore directed to constitute special investigating teams and take all necessary steps to ensure compliance of the order of the Hon'ble Court and submit the progress report to Pr. Secretary, Mines & Petroleum on weekly basis. Copy of the order is enclosed.

(D.B. Gupta)
Chief Secretary

Copy forwarded to the following for necessary action:-

1. Addl. Chief Secretary, Home Department, Rajasthan, Jaipur.
2. Director General of Police, Rajasthan, Jaipur.
3. Divisional Commissioner, Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Ajmer, Bharatpur, Kota, Bikaner.
4. Inspector General of Police, Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Ajmer, Bharatpur, Kota, Bikaner.
5. Director, Mines & Geology Department, Rajasthan, Udaipur.
6. All Superintendents of Police
7. Guard file.

Pr. Secretary to Govt.

खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.14(1)खान/ग्रुप–2/2012 जयपुर, दिनांक : 9 FEB 2012

परिपत्र

खनिजो का खनन वैध खनन पट्टा / लाइसेंस / परमिट के अन्तर्गत ही किया जा सकता है । इसके अलावा खनन किया जाना अवैध खनन की परिभाषा में आता है, जिसे रोका जाना एवं दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। वन क्षेत्रों में खनन, भारत सरकार के अनारक्षण स्वीकृति के बगैर किया जाना गैर–वानिकी गतिविधियों में आता है । अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता डॉ0 मनीष सिंघवी के पत्र क्रमांक एमएस/002/एस/2012 दिनांक 28.01.2012 के क्रम में विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की पूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग की होगी एवं इसके लिए संबंधित वन क्षेत्र के प्रभारी एवं उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी पालना किये जाने हेतु जिम्मेवार रहेंगे । न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी द्वारा प्रकरण के प्रभारी अधिकारी का शपथ पत्र भिजवाया जाएगा ।
2. गैर–वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी खान विभाग की रहेगी एवं इसके लिए खनि अभियंता / सहायक खनि अभियंता पालना किये जाने हेतु जिम्मेवार रहेगा। न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित खनि अभियंता / सहायक खनि अभियंता द्वारा प्रकरण के प्रभारी अधिकारी का शपथ पत्र भिजवाया जाएगा ।
3. खातेदारी भूमि में अवैध खनन किये जाने पर इसकी सूचना संबंधित तहसीलदार को देने हेतु क्षेत्र का हल्का पटवारी जिम्मेवार होगा । पटवारी / खान विभाग द्वारा सूचना दिये जाने पर तहसीलदार द्वारा खातेदार के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें । तहसीलदार द्वारा अवैध खनन हेतु खान विभाग के नियमों में दी गई शक्तियों का उपयोग कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए ।
4. यदि कोई भूमि औद्योगिक / अन्य कार्यों हेतु रीको / यू.आई.टी. / अन्य संस्थाओं को आवंटित कर दी गई हो एवं उसमें अवैध खनन होता हो तो संबंधित संस्था के प्रभारी द्वारा पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जानी चाहिए । यदि उक्त संस्थाएं उन्हें जिस कार्य हेतु भूमि आवंटित की गई है, उसे करने में विफल रहती है तथा अवैध खनन होता हो तो ऐसे आवंटन निरस्त किये जाने हेतु जिला कलक्टर / सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जावें ।
5. राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु संयुक्त अभियान चलाये जाने पर संयुक्त दल में नामित अधिकारी अवैध खनन रोकथाम हेतु विभागीय नियमों के तहत संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे

मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, खान मंत्री, राजस्थान, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. संयुक्त उप सचिव–I, खान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
7. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
8. डॉ0 मनीष सिंघवी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, 12, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
10. समस्त जिला कलक्टर
11. विधि अधिकारी (तकनीकी)/उप विधि परामर्शी, शासन सचिवालय, जयपुर
12. समस्त अति0 निदेशक (खान)/(भू–विज्ञान), अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता, द्वारा निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
13. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक: प.14(1)खान/ग्रुप–2/2012 जयपुर, दिनांक: 05 JUL 2021

परिपत्र

अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता डॉ0 मनीष सिंघवी के पत्र दिनांक 28.01.2012 के क्रम में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 09.02.2012 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

यह स्पष्ट है कि खनिजों का खनन वैध खनन पट्टा/लाइसेंस/परमिट के अन्तर्गत ही किया जा सकता है। इसके अलावा खनन किया जाना अवैध खनन की परिभाषा में आता है, जिसे रोका जाना एवं दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। वन क्षेत्रों में खनन, भारत सरकार के अनारक्षण स्वीकृति के बगैर किया जाना गैर–वानिकी गतिविधियों में आता है। उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु पूर्व परिपत्र की निरन्तरता में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

1. वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की पूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग की होगी एवं इसके लिए संबंधित वन क्षेत्र के प्रभारी एवं उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी पालना किये जाने हेतु जिम्मेवार रहेंगे। न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को शपथ पत्र भिजवाया जाएगा।
2. गैर–वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की जिम्मेवारी खान विभाग की रहेगी एवं इसके लिए खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता पालना किये जाने हेतु जिम्मेवार रहेंगे। न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को शपथ पत्र भिजवाया जाएगा।
3. खातेदारी भूमि में अवैध खनन किये जाने पर इसकी सूचना संबंधित तहसीलदार को देने हेतु क्षेत्र का हल्का पटवार जिम्मेवार होगा। पटवारी/खान विभाग द्वारा सूचना दिये जाने पर तहसीलदार द्वारा खातेदार के खातेदारी अधिकार निरस्त्र किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें। तहसीलदार द्वारा अवैध खनन हेतु खान विभाग के नियमों में दी गई शक्तियों का उपयोग कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।
4. यदि कोई भूमि औद्योगिक/अन्य कार्यों हेतु रीको/यू.आई.टी./अन्य संस्थाओं को आवंटित कर दी गई हो एवं उसमें अवैध खनन होता हो तो संबंधित संस्था के प्रभारी द्वारा पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जानी चाहिए। यदि उक्त संस्थाएं उन्हे जिस कार्य हेतु भूमि आवंटित की गई है, उसे करने में विफल रहती है तथा अवैध खनन होता हो तो ऐसे आवंटन निरस्त किये जाने हेतु जिला कलक्टर/सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जावें।
5. राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु संयुक्त अभियान चलाये जाने पर संयुक्त दल में नामित अधिकारी अवैध खनन रोकथाम हेतु विभागीय नियमों के तहत संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खान मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर।
9. विशेषाधिकारी (तक.)/उपविधि परामर्शी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. समस्त अतिरिक्त. निदेशक (खान)/(भू–विज्ञान), अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता द्वारा निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

–:मौका रिपोर्ट:–

माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या ओ.ए. 248/2022 में दिनांक 21.09.2022 को दिये निर्देशों की क्रियान्वित हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, महोदय खान एवं पैट्रोलियम राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 13.01.2023 को जिला कलक्टर, धौलपुर के कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित करने के उपरान्त माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव मय अद्योहस्ताक्षरकर्ता, खनि अभियन्ता भरतपुर, खनि अभियन्ता धौलपुर व पुलिस थानाधिकारी के साथ चम्बल नदी क्षैत्र का मौका निरीक्षण किया गया।

राजस्थान के तरफ चम्बल नदी में किसी प्रकार का कोई बजरी खनन नही हो रहा था। मौका निरीक्षण उपरान्त अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा खान एवं पुलिस विभाग की टीम को बजरी के अवैध खनन/निर्गमन के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश देने के बाद मौके से वापिस आ गये।

चम्बल नदी क्षैत्र का मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि मध्यप्रदेश राज्य के जिला मुरैना की तरफ चम्बल नदी के तट पर जे.सी.बी. मशीनों की मदद से 40–50 ट्रैक्टरों द्वारा लाइन

लगाकर बजरी को भरा जा रहा था। ये टैक्टर चम्बल नदी के किनारे मध्यप्रदेश की सीमा में रहते हुये कच्चे रास्ते से चलते हुये मुरैना–धौलपुर मार्ग पर पहुँचते है। मौके पर बजरी खनन स्थान, कच्चे रास्ते एवं कच्चे रास्ते से हाईवे का रास्ता ये सभी मध्यप्रदेश की सीमा में पड़ते है। इन ट्रैक्टरों में से कुछ ट्रेक्टर चम्बल नदी के ऊपर बने पुल पर होकर धौलपुर की तरफ जाने के प्रयासरत थे लेकिन पुलिस एवं खान विभाग की टीम को देखकर मौके पर 3 ट्रेक्टर चालकों ने बैखोफ मुरैना–धौलपुर हाईवे पर बजरी खाली कर दी तथा हाईवे को जाम करने का प्रयास किया जिससे कुछ देर मुरैना–धौलपुर मार्ग बाधित रहा। एक खाली ट्रैक्टर–ट्रोली चालक द्वारा अपनी ट्रेक्टर–ट्रोली को (मध्यप्रदेश की सीमा में) रोड डिवाइडर को फांद कर धौलपुर–मुरैना रोड़ पर आकर पुलिस वाहन व खान विभाग के वाहन के आगे चलाकर रोड़ पर लहराने लगा और डेक (Music system) को रोड़ पर जोर–जोर से चलाने लगा और राजकीय वाहनों को आगे जाने से रोकने का पूरा प्रयास किया एवं ट्रेक्टर चालक द्वारा सरकारी वाहनों को ट्रोली के पिछे की तरफ से टक्कर मारने की हिम्मत भी की गई। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिती खराब होने पर टीम राजस्थान सीमा की तरफ लौट आई। मौके पर अन्य ट्रेक्टर चालक खनिज बजरी से भरे ट्रेक्टरों को मध्यप्रदेश राज्य की सीमा में छोडकर फरार हो गयें। पुनः धौलपुर (राजस्थान) में सागरपाडा चौकी पर बजरी हेतु नाकाबन्दी की गई लेकिन कोई ट्रैक्टर बजरी का नहीं आया।

मौका रिपोर्ट वास्ते अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

(अविनाश कुलदीप)
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
भरतपुर–वृत, भरतपुर

पृष्ठ -6

303

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांक प0 40/10/(4)राजस्व/2017/पार्ट–II/101 दिनांक :– 14/1/2023

आदेश

माननीय एन0जी0टी0, प्रिंसीपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण सं0 ओए 248/2022 में दिनांक 21.09.2022 को दिये गये निर्देशों की कियान्विति हेतु दिनांक 13.01.2023 को अति0 मुख्य सचिव महोदय खान एवं पैट्रोलियम विभाग राज0 जयपुर की विशेष उपस्थिति में आयोजित समीक्षा बैठक में लिय गये निर्णयानुसार अवैध बजरी खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही व एनजीटी के निर्देशों की कियान्विति हेतु दिनांक 16 से 23 जनवरी 2023 तक सम्बन्धित विभागो (पुलिस विभाग, वन विभाग, खनि विभाग, परिवहन विभग) द्वारा संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया जाना है।

अतः माननीय एन0जी0टी0, प्रिंसीपल बैंच, नई दिल्ली के उक्त निर्देशो की कियान्विति हेतु निम्नलिखित विभागों की संयुक्त टीम गठित कर निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उक्त अभियान हेतु गठित दल में पारीवाईज अधीनस्थ अधिकारी/कार्मिको की नियुक्ति कर उनके नाम, पदनाम, मो0न0 आदि की सूचना सम्बन्धित विभागो व इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

1. पुलिस विभाग
2. राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभ्यारण्य विभाग सवाईमाधोपुर
3. सामाजिक वानिकी, वन विभाग धौलपुर
4. खान विभाग धौलपुर
5. परिवहन विभाग धौलपुर

उक्त संयुक्त दल के सदस्य परस्पर अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर उक्त अवधि में संयुक्त रूप से सघन निरीक्षण किया जाकर धौलपुर जिले के एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार व एनजीटी द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो की पालना/कियान्विति सुनिश्चित करेगे तथा अभियान की दैनिक रिपोर्ट खनि अभियन्ता धौलपुर व इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगें। उक्त अभियान की खनि अभियन्ता भरतपुर स्पेशल ऑफीसर के रूप में निगरानी करेंगे।

इसके अतिरिक्त उक्त विभाग जिले के सागरपाडा चैक पोस्ट पर भी कार्मिकों की ड्यूटी 24X7 लगायी जाकर सघन निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा चम्बल नदी के अन्तर्गत अवैध खनन स्थलों का भी निरीक्षण कर अवैध बजरी खनन के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

जिला कलक्टर

क्रमांक प0 40/10/(4)राजस्व/2017/पार्ट–II/101 दिनांकः 14/1/2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है–

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव खान एवं पैट्रोलियम विभाग शासन सचिवालय जयपुर
2. अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग कोटा, राजस्थान
3. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर
4. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर
5. उप वन संरक्षक, (वन्य जीव) राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर
6. उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी धौलपुर
7. प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कले0 धौलपुर
8. समस्त उपखण्डाधिकारी..............जिला धौलपुर
9. खनि अभियन्ता, खान विभाग भरतपुर/धौलपुर
10. जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग धौलपुर
11. सम्बन्धित......................................

जिला कलक्टर

15

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/खनि/2022/37 दिनांकः- 13/1/2023

बैठक कार्यवाही विवरण

माननीय एनजीटी नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या ओ.ए.248/2022 में दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो के कम में दिनांक 11.10.2022 को जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय/दिये गये निर्देशो की कियान्विति की समीक्षा हेतु दिनांक 13.1.2023 को प्रातः 11:30 बजे जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर में बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

क.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम
1.	श्री सुबोध अग्रवाल (विशेष उपस्थिति)	अति. मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग राज. जयपुर
2.	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	जिला कलक्टर धौलपुर
3.	श्री धर्मेन्द्र सिंह	जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर
4.	श्री अविनाश कुलदीप	अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर
5.	श्री किशोर गुप्ता	उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर
6.	श्री आर.एन. मंगल	खनि अभियन्ता भरतपुर
7.	श्री मुकेश चन्द्र मंगल	खनि अभियन्ता धौलपुर
8.	श्री आशाराम मीना	अधिशाषी अभियन्ता पीएचईडी धौलपुर
9.	श्री जयनारायण छेतीवाल	अधिशाषी अभियन्ता पीएचईडी वाडी
10.	श्री रामवीर सिंह	एमवीआई प्रतिनिधि जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर
11.	श्री राजकुमार मीणा	जिला जन सम्पर्क अधिकारी धौलपुर

बैठक में अवगत कराया गया कि माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली में प्रकरण कमांकःओ.ए. 248/2022 सुमोटो दर्ज हुआ है, जिसकी वस्तुस्थिति रिपोर्ट एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने बावत् माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा O. A. No. 248/2022 में दिनांक 05.04.2022 को आदेश जारी कर कमेटी का गठन किया गया। गठित कमेटी द्वारा माननीय एनजीटी नई दिल्ली के निर्देशानुसार चम्बल नदी का दिनांक 17.05.2022 को निरीक्षण किया जाकर संयुक्त कमेटी निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 14.07.2022 को मा0 एनजीटी नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई। माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.09.2022 को आदेश जारी कर संयुक्त कमेटी निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 17.5.2022 में वर्णित सिफारिशो की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। संयुक्त निरीक्षण कमेटी निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 14.07.2022 में वर्णित सिफारिशो व मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.9.2022 को आदेश जारी कर दिये गये निर्देशो की पालना सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में दिनांक 11.10.2022 को बैठक आयोजित की गई थी।

अति मुख्य सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में आगामी सुनवाई तिथि 24.1.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग के माध्यम से नियत होने से मा0 एनजीटी द्वारा दिये गये निर्देशो की पालना कराने हेतु दिनांक 16 से 23 जनवरी 2023 तक सम्बन्धित विभाग के अधिकारी/कार्मिक संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये।

जिला कलक्टर महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एनजीटी नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो की पालना सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.2022 को उनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी व कतिपय निर्णय लिये गये थे। गत बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिए गये:-

क. सं.	मा0 एनजीटी द्वारा की गई अनुशंषा	बैठक में लिए गये निर्णय/दिये गये निर्देश
1	An independent dedicated special task force either State Police or Central force may be deployed at illegal sand mining sites in NCS aren for taking stem action against defaulters at least two full sand seasons.	एनजीटी द्वारा की गई अनुशंषा के अनुसार विशेष टास्क फोर्स का गठन राज्य स्तरीय पुलिस अथवा केन्द्रीय फोर्स तैनात की जाकर किया जाना है। उक्त कार्यवाही राज्य स्तर से की जानी है। इस सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव महोदय गृह विभाग व वन विभाग को पत्र जारी किया जाये।
2	An interstate task force may be constituted with members of stack holder departments for proper co-ordination and joint action.	अन्तर राज्यीय टास्क फोर्स का गठन स्टेक हॉल्डर विभागों के समन्वय से किया जाना है। उक्त कार्यवाही राज्य स्तर से की जानी है। इस सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव महोदय गृह विभाग को पत्र जारी किया जाये जिससे शासन स्तर से इन्टर स्टेट टॉस्क फोर्स गठन हेतु सम्बन्धित राज्य को लिखा जा सके।
3	Adequate number of check post equipped with CCTV Surveillance camera connected with server accessible to all concern shall be provided for effective monitoring.	प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु सर्विलाईन्स चैक पोस्ट मय सीसीटीवी कैमरा व इन्टरनेट कनेक्टिविटी के स्थापित किया जाना है। इसके लिये पर्याप्त बजट एवं कार्मिक (स्टाफ) की आवश्यकता होगी। इस हेतु पर्याप्त बजट व स्वीकृति राज्य स्तर से अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में वन क्षेत्र में सर्विलाईन्स चैक पोस्ट मय सीसीटीवी कैमरा व इन्टरनेट कनेक्टिविटी के स्थापित किये जाने की कार्यवाही विभागीय योजनान्तर्गत अथवा कैम्पा आदि से कराने हेतु उप वन संरक्षक (वन्यजीव) सवाईमाधोपुर को तथा वन क्षेत्र से बाहर उक्त कार्यवाही हेतु सूचना एंव प्रौद्योगिकी विभाग से समन्वय स्थापित कर कराये जाने तथा आवश्यक बजट हेतु लिखा जावे। इसके अतिरिक्त जिले में प्रभारी मॉनीटरिंग हेतु उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर को ज़िले के उप वन संरक्षक (वन्यजीव) का चार्ज दिलाये जाने अथवा कार्यवाही किये जाने हेतु शक्तियां प्रदान किये जाने हेतु वन विभाग जयपुर को लिखा जावे।
4	Creating alternative livelihood opportunity for locals who are totally dependent on illegal mining.	अवैध खनन में संलिप्त/निर्भर स्थानीय लोगो के लिये वैकल्पिक रोजगार के तहत् मनेरगा अन्तर्गत कार्य दिया जा सकता है अथवा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से जोड़ा जा सकता है। जिला रोजगार अधिकारी के माध्यम से अवैध खनन में संलिप्त/निर्भर स्थानीय लोगो के गॉव में रोजगार हेतु कैम्प आयोजित किये जाकर उनको रोजगार से जोड़ा जावे।
5	Equipping forest force with latest weapons and increasing their numbers along with boat patrolling and drone survey facilities.	वन फोर्स को हथियार के साथ तैनात किया जा कर नदी में नाव (बोट) के साथ तथा ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जानी है। इसके लिये वन फोर्स को हथियार व आवश्यक संसाधनो की आवश्यकता होगी। इस हेतु पर्याप्त

		वजट व स्वीकृति राज्य स्तर से अपेक्षित है। अति. मुख्य सचिव महोदय ने उप वन संरक्षक (वन्यजीव) से दूरभाष पर वार्ता की गई। उप वन संरक्षक (वन्यजीव) द्वारा 20 वार्डर होमगार्ड मय हथियार व 02 गाडियां उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में अति. मुख्य सचिव महोदय ने द्वारा प्रमुख शासन सचिव महोदय वन विभाग से वार्ता की गई जिस पर उन्होने शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया।
6	Creating alternative of sand available in this area like sand crush etc. since there is no alternate of NCS where alternate sand may be there.	जिले में रेत के वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में एम–सेण्ड उपलब्ध नही है। जिले के निकटतम जिले भरतपुर एवं करौली (राज0) से एम–सेण्ड उपलब्ध है जहॉ से मांगपूर्ति की जा रही है।
7	Opening source area for legal mining. It is under pipeline NCS Morena have proposed 292 hectare of area for de-notification. so that local requirement can be fulfilled. This proposal is with NBWI for approval.	धौलपुर जिले में पार्वती नदी के अन्तर्गत खनिज वजरी के दो प्लॉट डेलीनियेट कर नीलाम किये गये थे। उक्त दोनो प्लॉटो की स्वीकृति वर्तमान में जारी की जा चुकी है जिनका शीघ्र ही संविदा निष्पादन कराया जाकर खनिज वजरी का वैध खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा
8	In case of Law and Order situation if any enquiry is instituted against any forest officer, then power of magisterial enquiry should be given to the forest department.	कानून व्यवस्था हेतु वन विभाग एवं पुलिस विभाग को संस्थागत रूप से न्यायिक शक्तियां प्रदान किया जाना उचित है। उक्त कार्यवाही राज्य स्तर से किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु वन विभाग को लिखा जावे।
9	Considering it a big problem, every stackeholder department should come together and do their bot.	वैठक में सभी सम्बन्धित विभाग (स्टेक हॉल्डर) को सयुक्त रूप से व आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के साथ संयुक्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। सभी सम्बन्धित विभाग (स्टेक हॉल्डर) एक–दूसरे के साथ समन्वय स्थापित कर दिनांक 16 से 23 जनवरी 2023 तक विशेष अभियान चलायेगे व मा0 एनजीटी के निर्देशो की पालना सुनिश्चित करायेगे। उक्त अभियान की खनि अभियन्ता भरतपुर स्पेशल ऑफिसर के रूप में निगरानी करेगे। सागरपाड़ा चैक पोस्ट पर सभी सम्बन्धित विभाग 24x7 स्टॉफ/ कार्मिको की ड्यूटी लगाकर तैनात करेगे।
10	RTO shall be directed to seize transport vehicles used in illegal transportation of river sand from NCS area and to cancel registration of illegal miners vehicle who are without number plates.	जिले में अवैध रेता निर्गमन में लिप्त वाहनों एवं विना नम्बर प्लेट के वाहनों को जप्त कर/पकड़ने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को तथा उनके पंजीयन को निरस्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया।
11	Petrol pump not to give diesel/petrol to vehicles involved in this.	जिले में अवैध रेता निर्गमन में संलिप्त वाहनों को पेट्रोल/डीजल नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में विधिक प्रावधान व प्रचलित दिशा निर्देशाो के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकती है। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा ऑयल कम्पनियों/पेट्रोल पम्प संचालको को जिले में अवैध रेता निर्गमन में संलिप्त वाहनों व विना नम्बर प्लेट वाले वाहनो को पेट्रोल/डीजल

		नहीं दिये जाने तथा उक्त की मॉनीटरिंग हेतु रजिस्टर सम्बन्धित पेट्रोल पम्प संचालको द्वारा संधारित किये जाने हेतु समुचित निर्देश जारी किये जाये।
12	Illegal properties of illegal miners to be seized.	जिले अवैध रेता खनन में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर सूची राजस्व विभाग को उपलब्ध कराने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर, उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर, उप वन संरक्षक वन्यजीव सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया।
13	Police to come heavily on illegal miners.	पुलिस एवं अन्य स्टेक हॉल्डर द्वारा अवैध रेता खननकर्ताओं के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा अवगत कराया गया कि अवैध खनन के विरूद्ध 200 व्यक्तियो के खिलाफ 100 एफआईआर दर्ज की जाकर उनके गिरफ्तार किया जा चुका है।
14	Revenue department to register case against those whose land is used for illegal sand dumping.	अवैध रेता भण्डारण किये जाने हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि के मालिक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित उपखण्डाधिकारी/तहसीलदार को तथा उक्त भूमियों व भूमि मालिको की सूची तैयार कर राजस्व विभाग के सम्बन्धित उपखण्डाधिकारी/तहसीलदार को उपलब्ध कराने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर, उप वन संरक्षक वन्यजीव सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया गया।
15	A strong political will required to stop the activities of sand mafia.	जिला प्रशासन स्तर से इस सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित नही है।
16	A mass publicity of action taken by forces on illegal mining should be regularly carried out through local news paper, FM Radio etc.	जिले में अवैध रेता खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का प्रिन्ट/इलेक्ट्रोनिक आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। इस हेतु जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी व सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया।
17	Local public participation also needs to be encouraged for their contribution to control the illegal mining. Awareness campaign among the public about the side effects of illegal mining through MLAs, MPs and public representatives may be started by forest department or other concerned authorities.	जिले में अवैध खनन के दुष्प्रभावों के बारे में स्थानीय लोगों में जागरूकता लाने हेतु चलाये जा रहे अभियानों में क्षेत्रीय विधायक, सांसद एवं जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों निर्देशित किया गया।
18	A continuous media campaign shall be started for creating awareness in public about environment and wild life related to Chambal River and side effects of illegal mining on it.	उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर ने अवगत कराया कि जिले में पर्यावरण और वन्य जीव के संबंध मे चम्बल नदी एवं अवैध खनन के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता लाने हेतु अभी हाल ही में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2022 तक वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह मनाया गया जिसमे वन्य जीवों की सुरक्षा में उपयोगिता के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों/अभियानों को आयोजित किये जाने के निर्देश दिये।

बैठक में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि चम्बल नदी क्षेत्र घडियाल परियोजना के प्रतिबन्धित क्षेत्र में होने से इसमें होने वाले अवैध खनन/निर्गमन के विरूद्ध वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही वन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा ही की जाती है। चम्बल नदी से खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्ध एस.आई.टी. द्वारा वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 (1.4.2022 से 31.12.2022 तक) मे की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:–

अवधि	कुल दर्ज प्रकरणों की संख्या	न्यायालय में चालान	एफआर	पुलिस स्तर पर पेडिंग
2020–21	93	14	0	79
2021–22	95	1	0	94
2022–23 (1.4.2022 से 31.12.2022 तक)	103	96	0	07

तत्पश्चात बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(मुकेशचन्द मंगल)
खनि अभियन्ता

क्रमांक:एनजीटी/248/2022/खनि/2022 /38–73 दिनांक:–13/1/2023

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक राज. जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वन विभाग जयपुर
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग जयपुर
7. निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर
8. अति. निजी सचिव जिला कलक्टर धौलपुर
9. अतिरिक्त निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान कोटा
10. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर
11. अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर
12. उपवन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर/उप वन संरक्षक (वन्य जीव) सवाई माधोपुर
13. अति. जिला कलक्टर धौलपुर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर
14. समस्त उपखण्डाधिकारी /तहसीलदार .....जिला धौलपुर
15. जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर
16. खनि अभियंता धौलपुर/भरतपुर
17. जिला रसद अधिकारी धौलपुर/महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र धौलपुर
18. एसीपी जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग धौलपुर/जिला रोजगार अधिकारी धौलपुर
19. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी धौलपुर
20. संबंधित.....

खनि अभियन्ता

प्रदर्श -8

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022 /173 दिनांकः– 20/1/2023

अतिरिक्त मुख्य सचिव
खान एवं पेट्रोलियम विभाग
शासन सचिवालय जयपुर।

विषयः–माननीय एन0जी0टी0 प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या ओ.ए. 248/2022 में दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो/अभिशंषाओं की कियान्विति के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हिन्दु समाचार पत्र दिनांक 27.3.2022 में प्रकाशित शीर्षक **"Digging up the Chambal"** के आधार पर **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली** में प्रकरण कमांकःओ.ए. 248/2022 दर्ज हुआ है। **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 21.9.2022 (आदेश की प्रति संलग्न है) को सुनवाई के दौरान एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया है:–**

"An interstate task force may be constituted with members of stack holder departments for proper co-ordination and joint action."

माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो की पालना सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.2022 को आयोजित की गई व कतिपय निर्णय लिये गये। गत बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा हेतु दिनांक 13.1.2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर की विशेष उपस्थिति में सम्बन्धित अधिकारियो के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गये निर्णयानुसार एनजीटी द्वारा की गई अनुशंषा के अनुसार **अन्तर राज्यीय टास्क फोर्स का गठन स्टेक हॉल्डर विभागों के समन्वय से किये जाने की कार्यवाही राज्य स्तर से की जानी है।** बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022/106 दिनांक 15.1.2023 के द्वारा प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग जयपुर को लिखा। संयुक्त शासन सचिव गृह (ग्रुप–5) विभाग जयपुर ने अपने पत्रांकःप.9(53)गृह–5/2022 दिनांक 18.1.2023 के द्वारा अवगत कराया कि धौलपुर **जिले के एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने हेतु एक अन्तर राज्जीय टास्क फोर्स का गठन संबंधित कार्यवाही प्रशासनिक विभाग खान विभाग के द्वारा की जावेगी जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारियो को सम्मिलित किया जा सकता है। प्रकरण में पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 18.1.2023 द्वारा महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर को लिखा जा चुका है।** पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः निवेदन है कि **धौलपुर जिले के एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने व उचित समन्वय और संयुक्त कार्यवाही के लिए स्टेक होल्डर विभागो के सदस्यों के साथ एक अन्तर राज्यीय टास्क फोर्स का गठन किये जाने की कार्यवाही** कराने का कष्ट करावे ताकि जिले में चम्बल नदी से अवैध रूप से बजरी/रेता खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाया सकें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

जिला कलक्टर

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022/174 दिनांकः– 20/1/2023

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक राज. जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वन विभाग जयपुर
3. संयुक्त शासन सचिव गृह (ग्रुप–5) विभाग जयपुर को पत्रांकःप.9(53)गृह–5/2022 दिनांक 18.1.2023 के क्रम में।
4. निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर
5. अतिरिक्त निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान कोटा
6. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर
7. अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर
8. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर/उप वन संरक्षक (वन्य जीव) सवाई माधोपुर
9. खनि अभियंता धौलपुर
10. जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर
11. संबंधित.....

जिला कलक्टर

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022 /171 दिनांकः– 20/1/2023

1. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर
2. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर
3. उप वन संरक्षक (वन्य जीव) सवाई माधोपुर

विषयः–माननीय एन0जी0टी0 प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या ओ.ए. 248/2022 में दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो/अभिशंषाओं की कियान्विति के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि हिन्दु समाचार पत्र दिनांक 27.3.2022 में प्रकाशित शीर्षक **"Digging up the Chambal"** के आधार पर **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली** में प्रकरण कमांकःओ.ए. 248/2022 दर्ज हुआ है। **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 21.9.2022 (आदेश की प्रति संलग्न है) को सुनवाई के दौरान एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया है:–**

1. "Illegal properties of illegal miners to be seized."
2. " Revenue department to register case against those whose land is used for illegal sand dumping."

माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो की पालना सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.2022 को आयोजित की गई व कतिपय निर्णय लिये गये। गत बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा हेतु दिनांक 13.1.2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर की विशेष उपस्थिति में सम्बन्धित अधिकारियो के साथ बैठक आयोजित की गई। **बैठक में जिले अवैध रेता खनन में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर सूची राजस्व विभाग को उपलब्ध कराने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर, उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर, उप वन संरक्षक वन्यजीव सवाईमाधोपुर को लिखे जाने तथा अवैध रेता भण्डारण किये जाने हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि के मालिक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित उपखण्डाधिकारी/तहसीलदार को तथा उक्त भूमियों व भूमि मालिको की सूची तैयार कर राजस्व विभाग के सम्बन्धित उपखण्डाधिकारी/तहसीलदार को उपलब्ध कराने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर, उप वन संरक्षक वन्यजीव सवाईमाधोपुर को लिखे जाने का निर्णय लिया गया। बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है।**

अतः आप **जिले के एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने व मा0 एनजीटी के उक्त निर्देशो की कियान्विति हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करावे तथा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट खनि अभियन्ता धौलपुर व इस कार्यालय में भिजवाने** का श्रम करावेः–

1. जिले अवैध रेता खनन में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करावे।
2. जिले में अवैध रेता भण्डारण किये जाने हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि के मालिक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर उक्त भूमियों व भूमि मालिको की सूची तैयार कराकर कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित उपखण्डाधिकारी/तहसीलदार को भिजवावे।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

जिला कलक्टर

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022 /172 दिनांकः– 20/1/2023

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
2. निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान कोटा
4. अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर
5. समस्त उपखण्डाधिकारी/तहसीलदार .....जिला धौलपुर को भेजकर लेख है कि आप पुलिस विभाग व वन विभाग से उक्तानुसार सूची प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करावे।
6. खनि अभियंता धौलपुर
7. संबंधित.....

जिला कलक्टर

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022/111-113 दिनांकः- 18/1/2023

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर
2. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र धौलपुर
3. जिला रोजगार अधिकारी धौलपुर

विषयः-माननीय एन0जी0टी0 प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या ओ.ए. 248/2022 में दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो/अभिशंषाओं की कियान्विति के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि हिन्दु समाचार पत्र दिनांक 27.3.2022 में प्रकाशित शीर्षक **"Digging up the Chambal"** के आधार पर माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली में प्रकरण कमांकःओ.ए. 248/2022 दर्ज हुआ है। माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 21.9.2022 **(आदेश की प्रति संलग्न है)** को सुनवाई के दौरान एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया हैः-

" Creating alternative livelihood opportunity for locals who are totally dependent on illegal mining. "

माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो की पालना सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.2022 को आयोजित की गई व कतिपय निर्णय लिये गये। गत बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा हेतु दिनांक 13.1.2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर की विशेष उपस्थिति में सम्बन्धित अधिकारियो के साथ बैठक आयोजित की गई। **बैठक में अवैध खनन में संलिप्त/निर्भर स्थानीय लोगो के लिये वैकल्पिक रोजगार के तहत् मनेरगा अन्तर्गत कार्य दिये जाने, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से जोडे जाने तथा जिला रोजगार अधिकारी के माध्यम से अवैध खनन में संलिप्त/निर्भर स्थानीय लोगो के गॉव में रोजगार हेतु कैम्प आयोजित किये जाकर उनको रोजगार से जोडे जाने का निर्णय लिया गया। बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है।**

अतः आप जिले के एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने व मा0 एनजीटी के **उक्त निर्देशो की कियान्विति हेतु उप वन संरक्षक (वन्यजीव) सवाईमाधोपुर, उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर व खनि अभियन्ता धौलपुर के साथ समन्वय स्थापित करते हुये निम्नलिखित कार्यवाही कराया जाकर** की गई कार्यवाही/अनुपालना से खनि अभियन्ता धौलपुर व इस कार्यालय को अवगत करावेः-

1. जिले में अवैध खनन में संलिप्त/निर्भर स्थानीय लोगो के लिये वैकल्पिक रोजगार के तहत् मनेरगा अन्तर्गत नियमानुसार कार्य दिलाया जावे।
2. जिले में अवैध खनन में संलिप्त/निर्भर स्थानीय लोगो विभिन्न विभागीय योजनाओं यथा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आदि से नियमानुसार जोड़ने की कार्यवाही करावे।

3. जिले में अवैध खनन में संलिप्त/निर्भर स्थानीय लोगो के लिये वैकल्पिक रोजगार के तहत् उनके गॉव में रोजगार हेतु कैम्प आयोजित किये जाकर उनको रोजगार से जोडा जावे।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

जिला कलक्टर

दिनांकः– /1/2023

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022/114–121

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
2. निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान कोटा
4. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर
6. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर/उप वन संरक्षक (वन्य जीव) सवाई माधोपुर
7. खनि अभियंता धौलपुर
8. संबंधित.....

जिला कलक्टर

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022/112 दिनांकः– 15/1/2023

प्रमुख शासन सचिव
वन विभाग
शासन सचिवालय राज. जयपुर

विषयः–माननीय एन0जी0टी0 प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या ओ.ए. 248/2022 में दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो/अभिशंषाओं की कियान्विति के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हिन्दु समाचार पत्र दिनांक 27.3.2022 में प्रकाशित शीर्षक **"Digging up the Chambal"** के आधार पर **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली** में प्रकरण कमांकःओ.ए. 248/2022 दर्ज हुआ है। **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 21.9.2022 (आदेश की प्रति संलग्न है) को सुनवाई के दौरान एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने हेतु** निम्नानुसार निर्देशित किया है:–

" In case of Law and Order situation if any enquiry is instituted against any forest officer, then power of magisterial enquiry should be given to the forest department. "

माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो की पालना सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.2022 को आयोजित की गई व कतिपय निर्णय लिये गये। गत बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा हेतु दिनांक 13.1.2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर की विशेष उपस्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। **बैठक में माननीय एन0जी0टी0 प्रमुख बैंच नई दिल्ली के उक्त निर्देशो की कियान्विति हेतु कानून व्यवस्था की स्थिति में यदि किसी वन अधिकारी/पुलिस विभाग के विरूद्ध कोई जॉच संस्थापित की जाती है तो मजिस्ट्रियल जॉच का अधिकार वन विभाग/पुलिस विभाग को दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही राज्य स्तर से अपेक्षित है। बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है।**

उक्त समीक्षा बैठक के दौरान अति मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर द्वारा **उक्त प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 24.1.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग के माध्यम से नियत होना बताया गया।**

अतः निवेदन है कि **धौलपुर जिले के एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति में यदि किसी वन अधिकारी/पुलिस अधिकारी के विरूद्ध कोई जॉच संस्थापित की जाती है तो मजिस्ट्रियल जॉच का अधिकार वन विभाग/पुलिस विभाग को दिये जाने की कार्यवाही** कराने का कष्ट करावे।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

जिला कलक्टर

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022 /113 दिनांकः– 15/1/2023

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक राज. जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग शासन सचिवालय जयपुर
4. निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर
5. अतिरिक्त निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान कोटा
6. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर
7. अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर
8. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर/उप वन संरक्षक (वन्य जीव) सवाई माधोपुर
9. खनि अभियंता धौलपुर
10. जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर
11. संबंधित.....

जिला कलक्टर

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022/110 दिनांकः– 15/1/2023

प्रमुख शासन सचिव
वन विभाग
शासन सचिवालय राज. जयपुर

विषयः–माननीय एन0जी0टी0 प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या ओ.ए. 248/2022 में दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो/अभिशंषाओं की कियान्विति के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हिन्दु समाचार पत्र दिनांक 27.3.2022 में प्रकाशित शीर्षक **"Digging up the Chambal"** के आधार पर **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई** दिल्ली में प्रकरण कमांकःओ.ए. 248/2022 दर्ज हुआ है। **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 21.9.2022 (आदेश की प्रति संलग्न है) को सुनवाई के दौरान एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया है:–**

" Equipping forest force with latest weapons and increasing their numbers along with boat patrolling and drone survey facilities. "

माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो की पालना सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.2022 को आयोजित की गई व कतिपय निर्णय लिये गये। गत बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा हेतु दिनांक 13.1.2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर की विशेष उपस्थिति में सम्बन्धित अधिकारियो के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में माननीय एन0जी0टी0 प्रमुख बैंच नई दिल्ली के उक्त निर्देशो की कियान्विति हेतु वन फोर्स को हथियार के साथ तैनात किया जाकर नदी में नाव (बोट) के साथ तथा ड्रोन के माध्यम से निगरानी की कार्यवाही व इसके लिये वन फोर्स को हथियार व आवश्यक संसाधनो की उपलब्धता हेतु पर्याप्त बजट व स्वीकृति की कार्यवाही राज्य स्तर से अपेक्षित है। बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है।

उक्त समीक्षा बैठक के दौरान अति मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर द्वारा **उक्त प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 24.1.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग के माध्याम से नियत होना बताया गया।** उप वन संरक्षक (वन्यजीव) द्वारा 20 बार्डर होमगार्ड मय हथियार व 02 गाडियां उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

अतः निवेदन है कि **धौलपुर जिले के एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने व उक्त निर्देशो के प्रभावी कियान्वय/मॉनीटरिंग हेतु** 20 बार्डर होमगार्ड मय हथियार, 02 गाडियां, वन फोर्स को आधुनिक हथियार के साथ तैनात किये जाने, नदी में नाव (बोट) के साथ तथा ड्रोन के माध्यम से निगरानी हेतु आवश्यक संसाधनो उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक बजट व स्वीकृति जारी किये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करावे।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

जिला कलक्टर

318

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022/111 दिनांकः- 15/1/2023

प्रतिलिपिः-निम्न को सूचनार्थ एवं नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक राज. जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग शासन सचिवालय जयपुर
4. निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर
5. अतिरिक्त निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान कोटा
6. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर
7. अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर
8. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर/उप वन संरक्षक (वन्य जीव) सवाई माधोपुर
9. खनि अभियंता धौलपुर
10. जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर
11. संबंधित.....

जिला कलक्टर

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022/108 दिनांकः- 15/1/2023

प्रमुख शासन सचिव
वन विभाग
शासन सचिवालय राज. जयपुर

विषयः-माननीय एन0जी0टी0 प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या ओ.ए. 248/2022 में दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो/अभिशंषाओं की कियान्विति के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हिन्दु समाचार पत्र दिनांक 27.3.2022 में प्रकाशित शीर्षक **"Digging up the Chambal"** के आधार पर **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली** में प्रकरण कमांकःओ.ए. 248/2022 दर्ज हुआ है। **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 21.9.2022 (आदेश की प्रति संलग्न है)** को सुनवाई के दौरान एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया है:-

"Adequate number of check post equipped with CCTV Surveillance camera connected with server accessible to all concern shall be provided for effective monitoring."

माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो की पालना सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.2022 को आयोजित की गई व कतिपय निर्णय लिये गये। गत बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा हेतु दिनांक 13.1.2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर की विशेष उपस्थिति में सम्बन्धित अधिकारियो के साथ बैठक आयोजित की गई। **चूकिं उप वन संरक्षक (वन्यजीव) सवाईमाधोपुर के पास धौलपुर चम्बल सेन्चुरी का चार्ज है जो 3-4 माह में कभी कभी आते है। बैठक के दौरान उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर ने अवगत कराया कि वह चम्बल सेन्चुरी अथवा उप वन संरक्षक (वन्यजीव) के अधिकार क्षेत्र में कार्यवाही नही कर सकते है।** बैठक में माननीय एन0जी0टी0 प्रमुख बैंच नई दिल्ली के उक्त निर्देशो की कियान्विति व जिले में प्रभावी **मॉनीटरिंग हेतु उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर को जिले के उप वन संरक्षक (वन्यजीव) का भी चार्ज दिलाये जाने अथवा कार्यवाही किये जाने हेतु शक्तियां प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त सर्विलाईन्स चैक पोस्ट मय सीसीटीवी कैमरा व इन्टरनेट कनेक्टिविटी के स्थापित किये जाने हेतु पर्याप्त बजट एवं कार्मिक (स्टाफ) की आवश्यकता होगी। उक्त कार्यवाही राज्य स्तर से अपेक्षित है।** बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है।

उक्त समीक्षा बैठक के दौरान अति मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर द्वारा **उक्त प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 24.1.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग के माध्यम से नियत होना बताया गया है।**

अतः निवेदन है कि **धौलपुर जिले के एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने व प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु निम्न कार्यवाही कराये जाने का कष्ट करावे** ताकि जिले में चम्बल नदी से अवैध रूप से बजरी/रेता खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाया सकें।

1. **उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर को जिले के उप वन संरक्षक (वन्यजीव) का चार्ज दिलाये जाने अथवा जिले के एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने हेतु चम्बल सेन्चुरी क्षेत्र/उप वन संरक्षक (वन्यजीव) के क्षेत्र में अवैध रूप से** बजरी/रेता खननमाफियों के विरूद्ध कार्यवाही **किये जाने हेतु आवश्यक शक्तियां प्रदान किये जाने का कष्ट करावे।**
2. **जिले के एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने हेतु सर्विलाईन्स चैक पोस्ट मय सीसीटीवी कैमरा व इन्टरनेट कनेक्टिविटी के स्थापित किये जाने हेतु पर्याप्त बजट एवं कार्मिक (स्टाफ) उपलब्ध कराने का कष्ट करावे।**

जिला कलक्टर

संलग्न–उपरोक्तानुसार

दिनांकः– 15/1/2023

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022 /109

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक राज. जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग शासन सचिवालय जयपुर
5. निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर
6. अतिरिक्त निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान कोटा
7. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को भेजकर लेख है कि आप उक्त की प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु वन क्षेत्र से बाहर जिन स्थानो पर कैमरे लगाये जाने है, को चिन्हित किये जाकर कैमरो की संख्या, आवश्यक बजट व संसाधनो की मांग आदि की गणना जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग धौलपुर के साथ समन्वय स्थापित कर किया जाकर इस कार्यालय को अवगत करावे।
8. अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर
9. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर/उप वन संरक्षक (वन्य जीव) सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आप एक–दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हुये वन क्षेत्र/चम्बल सेन्चुरी क्षेत्र में उक्त की प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु जिन स्थानो पर कैमरे लगाये जाने है, को चिन्हित किये जाकर कैमरो की संख्या, आवश्यक बजट व संसाधनो की मांग, रिक्त पदों व अतिरिक्त कार्मिकों की मांग आदि उचित माध्यम से वन विभाग जयपुर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
10. खनि अभियंता धौलपुर
11. जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर
12. संबंधित.....

जिला कलक्टर

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022/106 दिनांकः- 15/1/2023

प्रमुख शासन सचिव
गृह विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

विषयः-माननीय एन0जी0टी0 प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या ओ.ए. 248/2022 में दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो/अभिशंषाओं की कियान्विति के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हिन्दु समाचार पत्र दिनांक 27.3.2022 में प्रकाशित शीर्षक **"Digging up the Chambal"** के आधार पर **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली** में प्रकरण कमांकःओ.ए. 248/2022 दर्ज हुआ है। **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 21.9.2022 (आदेश की प्रति संलग्न है) को सुनवाई के दौरान एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया है:-**

"An interstate task force may be constituted with members of stack holder departments for proper co-ordination and joint action."

माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो की पालना सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.2022 को आयोजित की गई व कतिपय निर्णय लिये गये। गत बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा हेतु दिनांक 13.1.2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर की विशेष उपस्थिति में सम्बन्धित अधिकारियो के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गये निर्णयानुसार एनजीटी द्वारा की गई अनुशंषा के अनुसार **अन्तर राज्यीय टास्क फोर्स का गठन स्टेक हॉल्डर विभागों के समन्वय से किये जाने की कार्यवाही राज्य स्तर से की जानी है।** बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है।

उक्त समीक्षा बैठक के दौरान अति मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर द्वारा **उक्त प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 24.1.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग के माध्यम से नियत होना बताया गया।**

अतः निवेदन है कि **धौलपुर जिले के एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने व उचित समन्वय और संयुक्त कार्यवाही के लिए स्टेक होल्डर विभागो के सदस्यों के साथ एक अन्तर राज्यीय टास्क फोर्स का गठन किये जाने की कार्यवाही कराने** का कष्ट करावे ताकि जिले में चम्बल नदी से अवैध रूप से बजरी/रेता खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाया सकें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

जिला कलक्टर
धौलपुर

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022 /107 दिनांकः– 15/1/2023

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक राज. जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वन विभाग जयपुर
4. निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर
5. अतिरिक्त निदेशक खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान कोटा
6. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर
7. अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर
8. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर/उप वन संरक्षक (वन्य जीव) सवाई माधोपुर
9. खनि अभियंता धौलपुर
10. जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर
11. संबंधित.....

जिला कलक्टर

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022 /104 दिनांकः– 15/1/2023

प्रमुख शासन सचिव
गृह विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

विषयः–माननीय एन0जी0टी0 प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या ओ.ए. 248/2022 में दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो/अभिशंषाओं की कियान्विति के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हिन्दु समाचार पत्र दिनांक 27.3.2022 में प्रकाशित शीर्षक **"Digging up the Chambal"** के आधार पर **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली** में प्रकरण कमांकःओ.ए. 248/2022 दर्ज हुआ है। **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 21.9.2022 (आदेश की प्रति संलग्न है) को सुनवाई के दौरान एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया है:–**

"An independent dedicated special task force either State Police or Central force may be deployed at illegal sand mining sites in NCS area for taking stern action against defaulters at least two full sand seasons."

माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो की पालना सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.2022 को आयोजित की गई व कतिपय निर्णय लिये गये। गत बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा हेतु दिनांक 13.1.2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर की विशेष उपस्थिति में सम्बन्धित अधिकारियो के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गये निर्णयानुसार **स्पेशल टॉस्क फोर्स राज्य पुलिस से तैनात किये जाने की कार्यवाही राज्य स्तर से की जानी है।** बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है।

उक्त समीक्षा बैठक के दौरान अति मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर द्वारा **उक्त प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 24.1.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग के माध्यम से नियत होने बताया गया तथा मा0 एनजीटी द्वारा दिये गये निर्देशो की पालना कराने हेतु दिनांक 16 से 23 जनवरी 2023 तक सम्बन्धित विभाग के अधिकारी/कार्मिक को संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये।**

अतः निवेदन है कि **धौलपुर जिले के एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने हेतु कम से कम दो रेत सीजन में डिफाल्टरों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु एक स्वतन्त्र समर्पित स्पेशल टॉस्क फोर्स राज्य पुलिस से तैनात किये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट** करावे ताकि जिले में चम्बल नदी से अवैध रूप से बजरी/रेता खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाया सकें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

जिला कलक्टर

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022/105 दिनांकः- 15/1/2023

प्रतिलिपिः-निम्न को सूचनार्थ एवं नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक राज. जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वन विभाग जयपुर
4. निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर
5. अतिरिक्त निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान कोटा
6. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर
7. अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर
8. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर/उप वन संरक्षक (वन्य जीव) सवाई माधोपुर
9. खनि अभियंता धौलपुर
10. जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर
11. संबंधित.....

जिला कलक्टर

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

क्रमांकः– न्याय/2023/260 दिनांकः– 13-01-2023

विक्रय अधिकारी,

आई.ओ.सी.एल./एच.पी.सी.एल./रिलायन्स/बी.पी.सी.एल.

जिला धौलपुर

विषयः– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल नई दिल्ली के आदेश दिनांक 21.09.2022 की पालना करने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल नई दिल्ली, प्रमुख बैन्च नई दिल्ली द्वारा ऑरिजनल एप्लीकेशन नं. 248/2022 दिनांक 21.09.22 को सुनवाई के दौरान चम्बल नदी से अवैध रूप से रेता/बजरी खनन में प्रयुक्त वाहनों को डीजल/पैट्रोल नहीं दिए जाने के निर्देश दिये गये हैं। (एनजीटी के उक्त आदेश की प्रति संलग्न है)

अतः उक्त निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु जिले में चम्बल नदी से अवैध रूप से रेता/बजरी खनन निकटवर्ती पैट्रोल पम्पों (संलग्न सूची अनुसार) पर निम्नलिखित बिन्दुओं की सख्ती से पालना सुनिश्चित करावें तथा संबंधित पैट्रोल पम्प संचालकों को अपने स्तर से निर्देश जारी करें:–

1. चम्बल नदी से अवैध रूप से रेता/बजरी खनन में प्रयुक्त वाहनों को डीजल/पैट्रोल दिए जाने से पूर्व उस वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर, वाहन चालक का नाम, पता व लाईसेंस नम्बर आदि का विवरण रजिस्टर संधारित कर अंकित किया जावे।
2. ऑयल मार्केटिंग कम्पनी द्वारा निर्धारित मापदण्ड, सुसंगत अधिनियम के प्रावधान, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक डीजल/पैट्रोल कंटेनर में नहीं दिया जावे तथा कंटेनर में दिए जाने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन नम्बर, नाम व पता आदि का विवरण रजिस्टर संधारित कर अंकित किया जावे।
3. पैट्रोल पम्पों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाये जाना सुनिश्चित करें तथा सीसीटीवी कैमरे खराब होने की स्थिति में उन्हें तुरन्त सही कराया जावे।
4. संदिग्ध/अवैध खनन में लिप्त वाहनों/वाहन चालको की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाने/जिला पुलिस अधीक्षक को दी जावे।
5. रेता/बजरी के ऐसे वाहन जिन पर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं है, उनको किसी भी परिस्थिति में डीजल/पैट्रोल का प्रदाय नहीं किया जाएगा।
6. पैट्रोल पम्प संचालक संबंधित उपखण्डाधिकारी/जिला रसद अधिकारी/थानाधिकारी को निरीक्षण के समय पूर्ण सहयोग व आवश्यक रिकार्ड उपलब्ध करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

क्रमांकः– न्याय/2023/262-272 दिनांकः– 13-01-2023

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, खनिज एवं पैट्रोलियम विभाग जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जयपुर
3. शासन सचिव महोदय, गृह विभाग जयपुर
4. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को भेजकर लेख है कि संबंधित पुलिस अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का श्रम करें।

5. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर/वन्यजीव/चम्बल सैन्चुरी सवाई माधोपुर
6. समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला धौलपुर
7. खनि अभियन्ता धौलपुर
8. जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर
9. राज्य स्तरीय समन्वयक ऑयल कम्पनीज राजस्थान जयपुर
10. जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजकर लेख है कि संबंधितों को अपने स्तर से पाबन्द कर पालना सुनिश्चित करावें।
11. संबंधित पैट्रोल पम्प संचालक (संलग्न सूची अनुसार) तामील जरिये जिला रसद अधिकारी धौलपुर।
12. रक्षित पत्रावली

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

चम्बल रेता/बजरी खनन से सम्बन्धित वाहनों को डीजल/पैट्रोल उपलब्ध कराने वाले पैट्रोल पम्पों की सूची

1	GARG FILLING STATION	I.O.C.L.	BARI	9897933200
2	PREM FILLING STATION	H.P.C.L.	BARI	9314159827
3	JAIPUR DHOLPUR HIGHWAY SERVICE	RELIANCE	BARI	9414028044, 7014600000
4	RISHABH SERVICE STATION	H.P.C.L.	DHOLPUR	9413310916
5	KHATUSHYAMJI FILLING STATION	I.O.C.L.	DHOLPUR	9024173364
6	GURU FILLING STATION	I.O.C.L.	DHOLPUR	9414027239
7	MAHALAXMI PETROLIUM/RELIANCE INDISTRIES	RELIANCE	DHOLPUR	8209516456
8	SHREE RAM KISAN SEWA KENDRA	I.O.C.L.	RAJAKHERA	9983738919
9	DIHOLI FILLING STATION	I.O.C.L.	RAJAKHERA	9414026622
10	SHAMSHER SINGH FILLING STATION	I.O.C.L.	RAJAKHERA	9887325443

Devansh Jindal sales officer HPCl	9717788016

Ankit Jindal sales officer BPCL	9068810678

Jogendra Sales officer IOCl	8082514864

keshav Mehata Sales officer Reliance	9828106636

18/04/25

जिला रसद अधिकारी
धौलपुर (राज.)

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022 /101 दिनांकः– 18/1/2023

जिला परिवहन अधिकारी,
धौलपुर

विषयः–माननीय एन0जी0टी0 प्रिंसीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या ओ.ए. 248/2022 में दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो/अभिशंषाओं की कियान्विति के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि हिन्दु समाचार पत्र दिनांक 27.3.2022 में प्रकाशित शीर्षक **"Digging up the Chambal"** के आधार पर **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली** में प्रकरण कमांकःओ.ए. 248/2022 दर्ज हुआ है। **माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 21.9.2022 (आदेश की प्रति संलग्न है) को सुनवाई के दौरान एनसीएस क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने/नियन्त्रित करने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया हैः–**

" RTO shall be directed to seize transport vehicles used in illegal transportation of river sand from NCS area and to cancel registration of illegal miners vehicle who are without number plates."

माननीय एन0जी0टी0 प्रिन्सीपल बैंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.9.2022 को दिये गये निर्देशो की पालना सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.2022 को आयोजित की गई व कतिपय निर्णय लिये गये। गत बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा हेतु दिनांक 13.1.2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर की विशेष उपस्थिति में सम्बन्धित अधिकारियो के साथ बैठक आयोजित की गई। **बैठक में जिले में अवैध रेता निर्गमन में लिप्त वाहनों एवं बिना नम्बर प्लेट के वाहनों को जप्त कर/पकड़ने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को तथा उनके पंजीयन को निरस्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु जिला परिवहन अधिकारी को लिखे जाने का निर्णय लिया गया। बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है।**

अतः आप जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर व सम्बन्धित उप वन संरक्षक के साथ समन्वय स्थापित कर **जिले में अवैध रेता निर्गमन में लिप्त वाहनों एवं बिना नम्बर प्लेट के वाहनों को जप्त कर उनके पंजीयन को निरस्त कराने की कार्यवाही** करावे एवं की गई कार्यवाही की रिपोर्ट खनि अभियन्ता धौलपुर व इस कार्यालय में भिजवावे।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

जिला कलक्टर

क्रमांकःएनजीटी/248/2022/राजस्व/2022 /102-110 दिनांकः- 18/1/2023

प्रतिलिपिः-निम्न को सूचनार्थ एवं नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
2. निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान कोटा
4. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को भेजकर अनुरोध है कि **जिले में अवैध रेता निर्गमन में लिप्त वाहनों एवं बिना नम्बर प्लेट के वाहनों को जब्त कर उनके पंजीयन को निरस्त कराने हेतु जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर को सुपुर्द कराने की कार्यवाही कराने का श्रम करावे तथा उसकी नियमित मॉनीटरिंग भी करावे।**
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर
6. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर/उप वन संरक्षक (वन्य जीव) सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि जिले के **एनसीएस क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध निर्गमन में लिप्त वाहनों को जब्त कर उनके पंजीयन को निरस्त करने हेतु जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर को सुपुर्द कराने की कार्यवाही करावे।**
7. खनि अभियंता धौलपुर
8. संबंधित.....

जिला कलक्टर

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

विषय–ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 248/2022 Digging in the Chambal
राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।

सन्दर्भ– जिला कलक्टर, धौलपुर का पत्रांक 106 दिनांक 15.01.2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 21.09.2022 की पालना में संदर्भित पत्र के द्वारा जिला कलक्टर, धौलपुर ने अंतर राज्यीय टास्क फोर्स का गठन किए जाने एवं एक स्वतंत्र समर्पित स्पेशल टास्क फोर्स राज्य पुलिस से तैनात किए जाने की कार्यवाही हेतु आपको लिखा गया है। प्रकरण में आगामी सुनवाई तिथि 24.01.2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान विभाग को जरिये वी.सी. उपस्थित होने के निर्देश हैं। अतः जिला कलक्टर, धौलपुर के पत्र की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि प्रकरण में वांछित कार्यवाही शीघ्र करवाने का श्रम करावे।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(नीतू बारूपाल)
शासन उप सचिव

प्रमुख शासन सचिव,
गृह विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

अ0शा0 टीप संख्या प–11(1)(124)/खान/ग्रुप–2/2022
जयपुर, दिनांक: 17 JAN 2023

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

विषय–ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 248/2022 Digging in the Chambal राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।

सन्दर्भ–जिला कलक्टर, धौलपुर का पत्रांक 108, 110 एवं 112 दिनांक 15.01.2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 21.09.2022 की पालना में संदर्भित पत्र के द्वारा जिला कलक्टर, धौलपुर ने बजरी के अवैध खनन की प्रभावी मॉनीटरिंग करने, बॉर्डर होम गॉर्ड इत्यादि तैनात करने एवं वन अधिकारी/पुलिस अधिकारी के विरूद्ध जांच करने हेतु जांच का अधिकार वन विभाग/पुलिस विभाग को दिए जाने की कार्यवाही हेतु लिखा गया है।

प्रकरण में आगामी सुनवाई तिथि 24.01.2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान विभाग को जरिये वी.सी. उपस्थित होने के निर्देश हैं। अतः जिला कलक्टर, धौलपुर के पंत्रों की प्रतियां संलग्न कर निवेदन है कि प्रकरण में वांछित कार्यवाही शीघ्र करवाने का श्रम करावे।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(नीतू बारूपाल)
शासन उप सचिव

प्रमुख शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

अ0शा0 टीप संख्या प–11(1)(124)/खान/ग्रुप–2/2022
जयपुर, दिनांक: 17 JAN 2023

राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम विभाग

विषय—ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या **248/2022** Digging in the Chambal राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।

सन्दर्भ—जिला कलक्टर, धौलपुर का दिनांक 15.01.2023 एवं इस विभाग की अ.शा. टीप दिनांक 17.01.2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 21.09.2022 की पालना में जिला कलक्टर, धौलपुर ने बजरी के अवैध खनन की प्रभावी मॉनीटरिंग करने, बॉर्डर होम गॉर्ड इत्यादि तैनात करने एवं वन अधिकारी/पुलिस अधिकारी के विरूद्ध जांच करने हेतु जांच का अधिकार वन विभाग/पुलिस विभाग को दिए जाने की कार्यवाही हेतु आपकों पत्र दिनांक 15.01.2023 से लिखा गया है। इसी क्रम में जिला कलक्टर के पत्रों की प्रतियां इस विभाग की सन्दर्भित अ. शा. टीप से प्रेषित कर प्रकरण में वांछित कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करने हेतु लिखा है।

प्रकरण में आगामी सुनवाई तिथि 24.01.2023 निर्धारित है एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को जरिये वी.सी. उपस्थित होने के एन.जी.टी. के निर्देश हैं। अतः जिला कलक्टर, धौलपुर के पत्रानुसार प्रकरण में वांछित/आवश्यक कार्यवाही शीघ्र कराने का श्रम करें।

20/01

(डॉ0 सुबोध अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव o/c

20-01-2023

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

अ0शा0 टीप संख्या प–11(1)(124)/खान/ग्रुप–2/2022
जयपुर, दिनांकः 20 JAN 2023

राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम विभाग

विषय–ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या **248/2022** Digging in the Chambal राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।

सन्दर्भ–जिला कलक्टर, धौलपुर का दिनांक 15.01.2023 एवं इस विभाग की अ.शा. टीप दिनांक 17.01.2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 21.09.2022 की पालना में जिला कलक्टर, धौलपुर ने अंतर राज्यीय टास्क फोर्स का गठन किए जाने एवं एक स्वतंत्र समर्पित स्पेशल टास्क फोर्स राज्य पुलिस से तैनात किए जाने की कार्यवाही हेतु आपको पत्र दिनांक 15.01.2023 से लिखा गया है। इसी क्रम में जिला कलक्टर के पत्रों की प्रतियां इस विभाग की सन्दर्भित अ. शा. टीप से प्रेषित कर प्रकरण में वांछित कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करने हेतु लिखा है।

प्रकरण में आगामी सुनवाई तिथि 24.01.2023 निर्धारित है एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को जरिये वी.सी. उपस्थित होने के एन.जी.टी. के निर्देश हैं। अतः जिला कलक्टर, धौलपुर के पत्रानुसार प्रकरण में वांछित/आवश्यक कार्यवाही शीघ्र कराने का श्रम करें।

(डॉ0 सुबोध अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
20-01-2023

प्रमुख शासन सचिव,
गृह विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

अ0शा0 टीप संख्या प–11(1)(124)/खान/ग्रुप–2/2022
जयपुर, दिनांक: 20 JAN 2023